



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277125
CG-DL-E-13102026-277125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 805]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 876 (अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे मामलों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने से छूटे हुए हैं, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 और 21 के साथ पठित धारा 64 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित प्ररूप नियमों को, इनसे द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्ररूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन प्ररूप नियमों पर आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, भारत सरकार के अपर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल jslh-dadf@nic.in पर भेजे जा सकते हैं;

यदि ऊपर उल्लिखित तीस दिनों की अवधि के अवसान से पहले उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं तो, केंद्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** इन नियमों का नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** जब तक कि इन विनियमों में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) से "अधिनियम" भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) "सलाहकार समिति" से केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 16 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (घ) से इन नियमों से उपबंध प्ररूप अभिप्रेत है "प्ररूप";
- (ङ) "पहली अनुसूची" से अधिनियम की पहली अनुसूची अभिप्रेत है;
- (च) "एमएसबीई विनियमों" से (भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा यथा अधिसूचित समय-समय पर यथा संशोधित या अधिकांत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक-डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 अभिप्रेत है;
- (छ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ज) "अनंतिम रूप से मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय" से ऐसा पशु चिकित्सा महाविद्यालय अभिप्रेत है जिसको पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और जहां पर विद्यार्थियों के दाखिले को केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन अनुज्ञा पत्र अनुदत्त करने और उसके नवीकरण द्वारा अनुज्ञात किया गया है;
- (झ) "मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय" केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम और इन नियमों में विहित रीति में पहली अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान किया गया पशु चिकित्सा महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ञ) "मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में यथा परिभाषित मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता अभिप्रेत है;
- (ट) से इन नियमों "अनुसूची" से उपाबद्ध अभिप्रेत है;
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रादेशिक अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित या निर्मित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, जो किसी संपटक या संबद्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालय के माध्यम से पशु चिकित्सा अर्हता अनुदत्त कर रहा है;
- (ड) से कोई महाविद्यालय या "पशु चिकित्सा महाविद्यालय" संस्था अभिप्रेत है जो या तो किसी विश्वविद्यालय का संपटक महाविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जो पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक और पशु पालन में डिग्री पाठ्यक्रम या कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता की शिक्षा प्रदान करने में लगा हुआ है।

(ढ) "पशु चिकित्सा संस्था" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित संस्थाएं अभिप्रेत हैं;

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता— कोई व्यक्ति किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना नहीं करेगा और किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को दाखिला नहीं देगा या विद्यार्थियों की संख्या में अनुज्ञात संख्या से परे वृद्धि नहीं करेगा सिवाय तब जब वह इन नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त ना कर ले।

4. पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड— निम्नलिखित संगठन किसी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए प्ररूप-1 में आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

- (i) कोई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन;
- (ii) कोई विश्वविद्यालय;
- (iii) किसी कानून द्वारा या उसके अधीन केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय;
- (iv) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) या राज्य में किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी;
- (v) किसी राज्य में लागू अधिनियम के अधीन सृजित और रजिस्ट्रीकृत लोक धार्मिक या पूर्त न्यास या वक्फ अधिनियम 1995 (1995 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्फ;
- (vi) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित धारा 8 की कंपनी।

5. अर्हक मानदंड— नियम 4 के अधीन पात्र संगठन पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए अर्हक होंगे यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात्:-

- क. आवेदक के नियम 4 के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन वर्गों से भिन्न किसी एक प्ररूप में अस्तित्व रहने की दशा में उसका एक प्रमुख उद्देश्य पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना होना चाहिए ;
- ख. आवेदक के पास MSVE विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आकार की उपयुक्त समीप्य भूमि होनी चाहिए, जिस पर सभी भवन और सुविधाएं बनाई जा सकें; यह भूमि आवेदक के स्वामित्व और कब्जे में होनी चाहिए या आवेदक के पास तीस वर्ष या उससे अधिक के पट्टे के अधीन होनी चाहिए।

परंतु शिक्षा संबंधी पशुधन फार्म परिसर, पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से तीस किलोमीटर की परिधि के भीतर होगा।

परंतु यह भी कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा अस्पताल या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर और शिक्षा संबंधी पशुधन फार्म परिसर भी है, के संनिर्माण, स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए सभी अनुज्ञा, जो आवश्यक हो, सक्षम सरकारी अभिकरण से प्राप्त कर गई हैं;

- ग. पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर या पशु चिकित्सा अस्पताल स्वामित्व और प्रबंधन करना या जैसा कि MSVE नियमों में अभिकथित किया गया है, किसी राज्य के पशु चिकित्सा अस्पताल और किसी शिक्षा संबंधी पशुधन फार्म परिसर, जो उसमें विनिर्दिष्ट सभी अवसंरचनागत सुविधाओं के साथ

सुसज्जित हों, इंतजाम होना चाहिए और पशु चिकित्सा अस्पताल या पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर, यदि आवेदक के स्वामित्व में हो, तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर के भीतर होगा; यदि आवेदक की कोई व्यवस्था है, तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर से बीस किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए;

घ. पहले शैक्षिक वर्ष के लिए MSVE विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद की भर्ती कर ली गई है;

ङ. पहले और दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए MSVE विनियमों और अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अवसंरचनागत सुविधाएं स्थापित कर ली गई हैं;

च. पशु चिकित्सा महाविद्यालय 'सरकार' या 'भारतीय' या 'राष्ट्रीय' या 'अखिल भारतीय' या संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अधीन प्रतिषिद्ध शब्दों का उसके नाम के एक भाग के रूप में प्रयोग नहीं करेगा ताकि यह प्रभाव न पड़े कि उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी है या उसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा है या उसे सरकारी संरक्षण प्राप्त है तथा यह निर्बंधन उन पशु चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनकी स्थापना राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा या उनके द्वारा अनुमोदित नाम के अधीन की गई है।

(6) पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता शुरू करने के लिए आवेदन.- पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता शुरू करने के लिए आवेदन, नियम 4 के अधीन पात्र किसी भी संगठन द्वारा इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार को प्ररूप-I में जमा किया जाएगा। आवेदन दो प्रतियों में जमा किए जाएंगे और एक प्रति सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को दी जाएगी।

(2) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप-I में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।

(7) पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया.- परिषद् सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगी और कोई आवेदन, जो किसी भी रूप से अपूर्ण पाया जाता है या जहां आवेदक पात्रता या अर्हता मानदंड को पूरा नहीं करता है, को परिषद् द्वारा आवेदक को केंद्रीय सरकार को चिह्नित प्रति के साथ संवीक्षा के दौरान आवेदन में पाई गई त्रुटियों को इंगित करते हुए तथा आवेदक को ऐसी त्रुटियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने का अवसर प्रदान करते हुए लौटाया जाएगा।

परंतु यदि परिषद् अनुसूची I के अनुसार किसी आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार मामले को नियम 16 में बताई गई सलाहकार समिति को भेज सकती है।

2. वह आवेदन, जो पूर्ण पाए जाते हैं या जहां आवेदक नियम 4 और नियम 5 के अधीन मानदंड को पूरा करता है, को अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित परिषद् की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा, जो इन नियमों और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानकों के अधीन उपदर्शित अपेक्षाओं के आधार पर उक्त आवेदनों की जांच करेगी।
3. आवेदन की जांच पर यदि कार्यपालक समिति यह विनिश्चय करती है कि वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है तो वह उतनी संख्या में निरीक्षकों को, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए अधिनियम की धारा 19 और MSVE विनियमों के अधीन आवश्यक समझे, तैनात करेगी। निरीक्षकों की नियुक्ति ड्राँ ऑफ लॉट के ज़रिए की जाएगी।

4. जहां परिषद् की यह राय है कि आवेदन को भौतिक निरीक्षण किए बिना अस्वीकार कर देना चाहिए, तो वह केंद्रीय सरकार को इसे अस्वीकार करने की सिफारिश करेगी और साथ ही ऐसी सिफारिश का कारण भी बताएगी। केंद्रीय सरकार मामले को दोबारा विचार के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है जिसका लिखित कारण बताया जाएगा, या फिर केंद्रीय सरकार मामले को परामर्श के लिए नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को भेज सकती है।
 5. निरीक्षण पूरा होने के पश्चात् निरीक्षक पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता, जिसके अधीन अवसंरचना, कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और पशु चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं हैं, की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे परिषद् की कार्यपालक समिति को प्रस्तुत करेंगे।
 6. कार्यपालक समिति उप-नियम (6) में वर्णित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अभ्युक्तियों, जो आवश्यक हों, के साथ उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु पर टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए आवेदक को भेजेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
 7. परिषद्, पशु चिकित्सा महाविद्यालय से टिप्पणियों की प्राप्ति के पश्चात् उप-नियम (6) में वर्णित निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कार्यपालक समिति की अभ्युक्तियों को तथा आवेदक से प्राप्त टिप्पणियों को केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगी।
 8. जहां परिषद् केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के विरुद्ध सिफारिश करती है, तो वह ऐसी सिफारिश के लिए अपने कारणों को लिखित में प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय सरकार मामले को फिर से विचार करने के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है जिसका लिखित कारण बताया जाएगा, या केंद्रीय सरकार मामले को परामर्श के लिए नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को भेज सकती है।
 9. केंद्रीय सरकार नियम 15 के उप-नियम (2) में उल्लिखित बैंक गारंटी जमा करने पर आवेदक को इन नियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों को दाखिला की अनुज्ञा देते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कर सकती है; और अनुज्ञा पत्र की एक प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी भेजी जाएगी। परंतु केंद्रीय सरकार नियम 4 की श्रेणी (i) और (ii) में आने वाले आवेदकों को नियम 15 के उप-नियम (2) में बताई गई बैंक गारंटी जमा करने से छूट देगी।
 10. यदि केंद्रीय सरकार अनुज्ञा पत्र जारी न करने का विनिश्चय करती है तो वह अपने विनिश्चय को परिषद् को और संबंधित विश्वविद्यालय को प्रति के साथ आवेदक को सूचित करेगी। परंतु आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संदत्त फीस को लौटाया नहीं जाएगा।
8. **अनुज्ञा पत्र** – पहले अवसर पर अनुज्ञा पत्र पहले दो शैक्षिक वर्ष के लिए अनुदत्त किया जाएगा और पशु चिकित्सा महाविद्यालय को केवल पहले और दूसरे शैक्षिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को दाखिला करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
9. **अनुज्ञा पत्र का नवीकरण.**—
1. अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन, अनुज्ञा पत्र रखने वाले किसी भी संगठन द्वारा इन नियमों में बताए गए दस्तावेजों सहित प्ररूप-I में, सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार को जमा किया जाएगा। आवेदन दो प्रतियों में जमा किए जाएंगे जिसकी एक प्रति भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के सचिव को दी जाएगी।
 2. नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप-I में विनिर्दिष्ट दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे।
 3. अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए इन नियमों के अधीन सभी आवेदनों पर अनुसूची III में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

10. अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया.- परिषद् आवेदनों की जांच करेगी और यदि कोई आवेदन किसी भी तरह से अपूर्ण पाया जाता है या आवेदक पात्रता या अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो परिषद् उस आवेदन को आवेदक को वापस कर देगी। साथ ही, इसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जिसमें जांच के दौरान आवेदन में पाई गई कमियों का उल्लेख होगा और आवेदक को अनुसूची II में बताए गए समय के भीतर उन कमियों को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा।

परंतु यदि परिषद् अनुसूची I के अनुसार किसी आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार मामले को नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को भेज सकती है।

2. जो आवेदन पूर्ण पाए जाएंगे और जिनमें आवेदक अनुसूची II और MSVE विनियम में बताई गई शर्तों को पूरा करता है, उन्हें परिषद् की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा। यह समिति इन नियमों और MSVE विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के आधार पर उन आवेदनों की जांच करेगी।
3. आवेदन की जांच पर यदि कार्यपालक समिति यह विनिश्चय करती है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, तो वह उतनी संख्या में निरीक्षकों को, जो अधिनियम की धारा 19, पशु चिकित्सा के न्यूनतम मानदंड विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम, 1991 के उपबंधों के अधीन आवश्यक समझे, तैनात करेगी। निरीक्षकों की नियुक्ति ड्रॉ ऑफ लॉट के जरिए की जाएगी।
4. जहां परिषद् की राय है कि आवेदन को बिना भौतिक निरीक्षण के ही अस्वीकार कर देना चाहिए, तो वह केंद्रीय सरकार को इसे अस्वीकार करने की सिफारिश करेगी और साथ ही ऐसा करने का कारण भी बताएगी। केंद्रीय सरकार मामले को दोबारा विचार करने के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है जिसका लिखित कारण बताया जाएगा या केंद्रीय सरकार मामले को परामर्श के लिए नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति के पास भेज सकती है।
5. निरीक्षण पूरा होने के पश्चात्, निरीक्षक पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, कर्मचारीवृंद, उपस्कर और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाओं सहित पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे परिषद् की कार्यपालक समिति को सौंपेंगे।
6. कार्यपालक समिति, उप-नियम (5) में वर्णित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अभ्युक्तियों, जो आवश्यक हों, के साथ उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु पर टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए आवेदक को भेजेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
7. परिषद्, पशु चिकित्सा महाविद्यालय से टिप्पणियों की प्राप्ति के पश्चात् उप-नियम (5) में वर्णित निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कार्यपालक समिति की अभ्युक्तियों को तथा आवेदक से प्राप्त टिप्पणियों को केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगी।
8. जहां परिषद् केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के विरुद्ध सिफारिश करती है, तो वह ऐसी सिफारिश के लिए अपने कारणों को लिखित में प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय सरकार मामले को फिर से विचार करने के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है जिसका लिखित कारण बताया जाएगा, या केंद्रीय सरकार मामले को परामर्श के लिए नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को भेज सकती है।
9. केंद्रीय सरकार आवेदक को अनुज्ञा पत्र का नवीकरण जारी कर सकती है, जिससे आवेदक इन नियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में तीसरे और चौथे वर्ष के लिए विद्यार्थियों को दाखिला दे सके, साथ ही केंद्रीय सरकार अनुज्ञा पत्र के नवीकरण की एक प्रति परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी भेजेगी।

10. यदि केंद्रीय सरकार अनुज्ञा पत्र का नवीकरण जारी न करने का निर्णय करती है, तो इस निर्णय की जानकारी आवेदक को दी जाएगी और इसकी एक प्रति परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी भेजी जाएगी।

11. पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के द्वारा मान्यता देने के लिए आवेदन- (1) पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को मान्यता देने के लिए आवेदन, MSVE विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाले या जिनके पास अनुज्ञा पत्र का नवीकरण है, ऐसे किसी भी संगठन द्वारा प्ररूप-I में सचिव, पशुपालन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन दो प्रतियों में जमा किए जाएंगे और एक प्रति सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को दी जाएगी।

2. नियम 11 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ प्ररूप-I में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ भी संलग्न करने होंगे।
3. इन नियमों के अधीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम को मान्यता देने के लिए सभी आवेदनों पर अनुसूची III में विनिर्दिष्ट समय-सूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
4. पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को पहली अनुसूची में शामिल किए जाने के द्वारा मान्यता देने के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया.- परिषद् आवेदनों की जांच करेगी और यदि कोई आवेदन किसी भी तरह से अपूर्ण पाया जाता है या आवेदक पात्रता या अर्हता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो परिषद् उस आवेदन को आवेदक को वापस कर देगी। साथ ही, इसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जिसमें जांच के दौरान आवेदन में पाई गई कमियों का उल्लेख होगा और आवेदक को अनुसूची III में बताए गए समय के भीतर उन कमियों को ठीक करने का अवसर दिया जाएगा।

परंतु यदि परिषद् अनुसूची III के अनुसार किसी आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो केंद्रीय सरकार मामले को नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को भेज सकती है।

2. जो आवेदन पूर्ण पाए जाएंगे और जिनमें आवेदक अनुसूची II और MSVE विनियम में बताई गई शर्तों को पूरा करता है, उन्हें परिषद् की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा। यह समिति इन नियमों और MSVE विनियमों में निर्धारित अपेक्षाओं के आधार पर उन आवेदनों की जांच करेगी।
3. आवेदन की जांच पर यदि कार्यपालक समिति यह विनिश्चय करती है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय का भौतिक निरीक्षण को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, तो वह उतनी संख्या में निरीक्षकों को, जो अधिनियम की धारा 19, पशु चिकित्सा के न्यूनतम मानदंड विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम, 1991 के उपबंधों के अधीन आवश्यक समझे, तैनात करेगी। निरीक्षकों की नियुक्ति ड्रॉ ऑफ लॉट के जरिए की जाएगी।
4. जहां परिषद् की राय है कि आवेदन को बिना भौतिक निरीक्षण के ही अस्वीकार कर देना चाहिए, तो वह केंद्रीय सरकार को इसे अस्वीकार करने की सिफारिश करेगी और साथ ही ऐसा करने का कारण भी बताएगी। केंद्रीय सरकार मामले को दोबारा विचार करने के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है जिसका लिखित कारण बताया जाएगा या केंद्रीय सरकार मामले को परामर्श के लिए नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति के पास भेज सकती है।
5. निरीक्षण पूरा होने के पश्चात्, निरीक्षक पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता, जिसके अंतर्गत अवसंरचना, कर्मचारीवृंद, उपस्कर और पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाओं सहित पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे परिषद् की कार्यपालक समिति को सौंपेंगे।

6. कार्यपालक समिति, उप-नियम (5) में वर्णित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी अभ्युक्तियों, जो आवश्यक हों, के साथ उक्त रिपोर्ट की अंतर्वस्तु पर टिप्पणियों की ईप्सा करते हुए आवेदक को भेजेंगे और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिषद् द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को भी अग्रेषित की जाएगी।
7. परिषद्, पशु चिकित्सा महाविद्यालय से टिप्पणियों की प्राप्ति के पश्चात् उप-नियम (5) में वर्णित निरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कार्यपालक समिति की अभ्युक्तियों को तथा आवेदक से प्राप्त टिप्पणियों को केंद्रीय सरकार को अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में सिफारिश के साथ अग्रेषित करेगी।
8. जहां परिषद् केंद्रीय सरकार को पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम की मान्यता न देने के संबंध में सिफारिश करती है, वहां वह ऐसी सिफारिश के कारणों को लिखित में प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय सरकार इस संदर्भ में लिखित में कारण बताते हुए इस संदर्भ मामले को पुनर्विचार के लिए परिषद् को वापस भेज सकती है या नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को सलाह के लिए मामला भेज सकती है।
9. केन्द्रीय सरकार पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम को मान्यता दे सकती है और अधिसूचना द्वारा पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल कर सकती है। अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी।
10. यदि केंद्रीय सरकार पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं देने का निर्णय लेती है, तो उसके निर्णय के साथ-साथ कारण भी आवेदक को सूचित किया जाएगा और उसकी प्रति परिषद् और संबंधित विश्वविद्यालय को भी भेजी जाएगी।

(12) मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानों को बढ़ाने के लिए आवेदन.- मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन, अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किसी भी महाविद्यालय या संस्थान द्वारा प्ररूप—I में इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ सचिव, पशुपालन विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन दो प्रतियों में जमा किए जाएंगे, जिसमें से एक प्रति सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् को प्रदान की जाएगी।

(14) मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता का प्रस्ताव करने वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था की दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया:

पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन की समीक्षा और जांच, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों की तैनाती, पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण, परिषद् द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार, निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भेजना, निरीक्षण रिपोर्ट पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय से टिप्पणियां प्राप्त करना, परिषद् की सिफारिश और अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए नियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया आवश्यक उपांतरणों के साथ, नियम 13 के अधीन दाखिला क्षमता में वृद्धि के लिए किए गए आवेदन पर लागू होगी

(15) शुल्क और बैंक प्रतिभूति - प्ररूप- I में आवेदन के साथ, केवल एक लाख पचास हजार रुपये मात्र का के शुल्क देय होगा, जो नई दिल्ली में देय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के नामे डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के माध्यम से जमा किया जाएगा। नियम 4 के खंड (i) और (ii) के अंतर्गत आने वाले आवेदकों को ऐसे आवेदन शुल्क से छूट दी जाएगी।

- (2) अनुज्ञा पत्र जारी करने से पहले किसी भी अनुसूचित बैंक से 'भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्' के नामे दस करोड़ रुपये की बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी जो पांच साल की अवधि के लिए वैध होगी।

उक्त बैंक प्रतिभूति को आवेदक द्वारा वर्ष दर वर्ष बढ़ाया जाएगा और किसी भी समय इसे व्यपगत नहीं होने दिया जाएगा।

16. सलाहकार समिति. - केंद्रीय सरकार, अनुज्ञा पत्र जारी करने, या अनुज्ञा पत्र के नवीकरण, या किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए पशु चिकित्सा योग्यता या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के प्रयोजन के लिए, जिसमें पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता को प्रथम अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश भी शामिल है, या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिले की क्षमता में वृद्धि के संबंध में, विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है और निर्णय लेने से पहले किसी भी मामले को संदर्भित कर सकती है और तकनीकी सलाह प्राप्त कर सकती है।

(2) उपनियम 1 में निर्दिष्ट सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्य से मिल कर बनेगी, अर्थात्:-

- i. पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग;
- ii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पशु विज्ञान से संबंधित उप महानिदेशक;
- iii. दो विश्वविद्यालयों के कुलपति या जिनसे सम्बद्ध पशु चिकित्सा महाविद्यालयों जिनको पहली अनुसूची में शामिल किया गया है, को केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;
- iv. संबंधित राज्य सरकार के पशुपालन विभाग का प्रधान सचिव या सचिव;

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, सलाहकार समिति केंद्रीय सरकार को अपेक्षित सलाह देने के प्रयोजन से संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए उचित समझे उसमें पशु चिकित्सा निरीक्षक उस संख्या में नियुक्त कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

(4) सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सा निरीक्षकों को अधिनियम की धारा 19 तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम 1991 के अधीन परिषद द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सा निरीक्षकों के सभी अधिकार और कर्तव्य होंगे।

(5) यदि किसी विशिष्ट मामले में परिषद द्वारा पहले ही निरीक्षण कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तो सलाहकार परिषद नया निरीक्षण संचालित करने के स्थान पर विद्यमान निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार को अपनी सलाह देगी और यदि सलाहकार समिति आवश्यक समझती है तो वह पशु चिकित्सा निरीक्षकों को ऐसे स्पष्टीकरण देने के लिए समन कर सकती है जो केंद्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों।

(6) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति के ऐसे सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें भारत सरकार के अविभागीय नियमों के अनुसार होंगी।

17. पहले ही पहली अनुसूची में सम्मिलित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण.- पशु चिकित्सा संस्थाएं या पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो पहले ही सम्मिलित हैं या पहली अनुसूची में पशु चिकित्सा अर्हता का समय समय पर परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 19 या धारा 20 के उपबंधों के अनुसरण में और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (निरीक्षक और आगंतुक) विनियम 1991 के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा कि क्या इन नियमों और पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों उनके न्यूनतम मानक का अनुपालन किया जा रहा है। निरीक्षक/आगंतुक लॉट के ड्रा द्वारा तय होंगे।

2. निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण संचालित किए जाने की दशा में निरीक्षण रिपोर्ट को परिषद की कार्यपालक समिति के समक्ष रखा जाएगा, और आगंतुकों द्वारा निरीक्षण की दशा में निरीक्षण रिपोर्ट को परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।
 3. यदि निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् परिषद का यह निष्कर्ष होता है कि परिषद द्वारा निरीक्षण की गई पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 के खंड क और ख में अधिकथित परिस्थितियां विद्यमान हैं तो परिषद केंद्रीय सरकार को इस प्रभाव का अभ्यावेदन करेगी।
 4. यदि ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, केंद्रीय सरकार यह निष्कर्ष निकालती है कि यह एक उपयुक्त मामला है, तो वह संबंधित संस्थान से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को उक्त सिफारिश को भेज सकती है, जिस राज्य में पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान अब स्थित है।
 5. संबंधित राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से अभ्यावेदन होने के 30 दिन के भीतर ऐसी अभियुक्तियों, जो वह करने का चयन करें, के साथ उक्त अभ्यावेदन को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सक संस्था से राज्य सरकार को उक्त अभ्यावेदन को राज्य सरकार से प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर अपने स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा के साथ संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था को अग्रेषित करेगी।
 6. स्पष्टीकरण प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर या इसमें उपर नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना करने पर उस अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था की मान्यता को समाप्त करने के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी।
 7. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त होने के बाद, नियम 16 में उल्लिखित सलाहकार समिति को संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्थान के मानकों के बारे में आवश्यक जाँच करने के लिए मामला संदर्भित कर सकती है और रेफरल के तीस दिनों के भीतर उसकी रिपोर्ट दे सकती;
 8. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था के विरुद्ध समुचित अनुसूची में एक प्रविष्टि की जाँच कि संबंधित महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था द्वारा केवल विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व विद्यार्थियों को अनुदत्त पशु चिकित्सा अर्हता ही मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी :
 9. केंद्रीय सरकार द्वारा उपनियम (8) के अधीन जारी अधिसूचना की प्रतियां, परिषद्, संबंधित राज्य सरकार, संबंधित पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था और संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी जाएंगी;
18. **पशु चिकित्सा महाविद्यालय पशु चिकित्सा संस्था जिस की मान्यता समाप्त कर दी गई है कि मान्यता की पुनः बहाली.-** किसी ऐसी पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा किसी भी शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों को दाखिल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी मान्यता या उसके द्वारा प्रदान की गई पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता को पुनः बहाल नहीं कर दिया जाता है।
- (2) किसी रद्द पशु चिकित्सा संस्थान या पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता बहाल करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के बाद, जो उसकी मान्यता रद्द होने का आधार बनी थीं, इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट

दस्तावेजों के साथ सचिव, पशुपालन विभाग, भारत सरकार को आवेदन। आवेदन दो प्रतियों में जमा किए जाएंगे, जिसमें से एक प्रति सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को प्रदान की जाएगी।

- (3) पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है की मान्यता बहाल करने के लिए आवेदन पर नियम 12 में निर्दिष्ट अनुसार प्रथम अनुसूची में शामिल करके पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता प्रदान करने के आवेदन के समान कार्रवाई की जाएगी।

19. **विद्यार्थियों का स्थानांतरण.**— यदि कोई पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, अगले तत्काल शैक्षणिक वर्ष या इंटरशिप वर्ष के प्रारंभ से कम से कम तीन महीने पहले अपनी मान्यता बहाल करने में असमर्थ रहता है या यदि कोई पशु चिकित्सा महाविद्यालय अनुज्ञा पत्र का नवीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, तो उसमें पहले ही दाखिल किए गए विद्यार्थियों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा उचित परीक्षा संचालित करके ऐसे मूल्यांकन परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, विद्यार्थियों को उसी विश्वविद्यालय से संबद्ध मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करने वाले किसी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से स्थानांतरित किया जाएगा:

परंतु यदि किसी विश्वविद्यालय के पास उस से संबद्ध कोई अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था नहीं है तो ऐसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिस की मान्यता समाप्त कर दी गई है, के विद्यार्थियों को उसी राज्य जिसमें वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, में स्थित मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था को स्थानांतरित कर दिया जाएगा;

परंतु यह और कि यदि राज्य के भीतर कोई अन्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था नहीं है तो परिषद विद्यार्थियों को देश में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करने वाले किसी अन्य मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में स्थानांतरित करने के लिए सशक्त होगी:

परंतु यह भी कि कोई भी पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा महाविद्यालय अपनी स्वीकृत सीटों की संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक छात्रों को दाखिला नहीं देगा।

यदि मान्यता समाप्त कर दिए गए पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता बहाल नहीं की जाती है या अनुमति पत्र का नवीकरण नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो, तब तक जब तक कि उसमें दाखिल विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता प्रदान करने वाले किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में स्थानांतरित किए जाने तक जो ऐसे महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रतिभूति को परिषद द्वारा भुनाया जाएगा, इन नियमों के तहत छात्रों को स्थानांतरित करने की लागत जिसमें शुल्क में अंतर भी शामिल है, उक्त बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण से वसूला जाएगा।

अनुसूची-1

प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त करने की अनुसूची

क्रम संख्या	निपटाने का स्तर	समयसीमा *
1.	केन्द्रीय सरकार और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	आवेदन करने की तिथि
2.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदन की संवीक्षा और केंद्रीय सरकार को एक प्रति भेजने के साथ त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदनों को आवेदक को वापस लौटाना	आवेदन करने की तिथि से 30 दिन

3.	आवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना	आवेदन करने की तिथि से 45 दिन
4.	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए केंद्रीय सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की सिफारिशें	आवेदन करने की तिथि से 105 दिन
5.	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करना	आवेदन करने की तिथि से 120 दिन

जिन सभी महाविद्यालयों के लिए जून के तीसवें दिन से पहले अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, उन्हें आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दी जाएगी।

*केंद्रीय सरकार समय सीमा में आवश्यक छूट दे सकती है।

अनुसूची - II

1. पशु चिकित्सा महाविद्यालय की मान्यता के लिए आवेदक द्वारा प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं:— जैसा कि MSVE विनियमों में विहित है।

- a. आवेदक के पास 15 एकड़ से अन्यून भूमि होनी चाहिए चाहे स्वामित्व के माध्यम से या 30 वर्ष या अधिक के पट्टे पर हो, जिसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिन्हित किया गया हो।
- b. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पास एक प्रशासनिक खंड होगा जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी, अर्थात्:-
 - i. डीन या प्राचार्य का कक्ष
 - ii. वैयक्तिक कर्मचारीवृंद कक्ष
 - iii. समिति कक्ष
 - iv. आगंतुक कक्ष
 - v. शैक्षिक, लेखा और स्थापना अनुभागों के कर्मचारीवृंद के लिए कक्ष
 - vi. अभिलेख कक्ष
 - vii. केंद्रीय भंडार कक्ष
 - viii. आगंतुकों और कर्मचारी वृंद के लिए प्रसाधन सुविधाएं

c. पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा MSVE विनियमों के अनुसार निम्नलिखित की भर्ती की गई होगी, अर्थात् :-

- i. डीन/प्राचार्य और उनके वैयक्तिक कर्मचारीवृंद।
- ii. महाविद्यालय के लिए कर्मचारीवृंद।

iii. पुस्तकालय के लिए कर्मचारीवृंद।

d. उपरोक्त के अतिरिक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित आम सुविधाएं होंगीं अर्थात:-

2. पुस्तकों, जर्नल और आवधिक पत्रिकाओं से सुसज्जित महाविद्यालय पुस्तकालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैठने के पर्याप्त स्थान की सुविधा वाला अध्ययन कक्ष
3. एक सम्मेलन जिसमें न्यूनतम 300 लोगों के बैठने की सुविधा हो
4. एक कैटीन
5. एक सभागार कक्ष जिसमें कम से कम 100 लोगों के बैठने की क्षमता हो
6. दो व्याख्यान कक्ष जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 100 लोगों के बैठने की क्षमता हो
7. गेम और क्रीडा सुविधाएं जिसके अंतर्गत इंडोर गेम्स सुविधाएं भी शामिल हैं
8. बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास
9. परिवहन सुविधाएं
10. केंद्रीय कंप्यूटर प्रयोगशाला
11. सभी सुविधाओं के साथ फोटोग्राफी इकाई

• जैसा कि MSVE विनियमों में विहित है शिक्षक,संकाय, भवनों, जनशक्ति और उपसकरो के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित किए जाएंगे:

- i. पशु चिकित्सा एनाटॉमी,
- ii. पशु चिकित्सा फिजियोलॉजी और
- iii. पशु चिकित्सा जीव रसायन,
- iv. पशुधन उत्पादन प्रबंधन,
- v. पशु पोषण
- vi. पशु आनुवंशिकी और प्रजनन
- vii. पशुधन उत्पाद और प्रौद्योगिकी
- viii. पशु चिकित्सा माइक्रोबायोलॉजी
- ix. पशु चिकित्सा पैथोलॉजी
- x. पशु चिकित्सा नैदानिक परिसर
- xi. शिक्षा संबंधी पशुधन फार्म परिसर,

2. अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं: MSVE विनियमों में यथा विहित

शिक्षक,संकाय, भवनों, जनशक्ति और उपसकरो के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित विभागों की स्थापना की जाएगी।

- i. पोल्ट्री विज्ञान
- ii. पशु चिकित्सा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी

(3) पशु चिकित्सा महाविद्यालय को अंतिम मान्यता देने से पहले आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व न्यूनतम अपेक्षाएं MSVE विनियमों में यथा विहित शिक्षक संकाय, भवनों, जनशक्ति और उपसकरो के साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित किए जाएंगे:

- i. पशु चिकित्सा पेरासिटोलॉजी
- ii. पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य और एपिडेमियोलॉजी,
- iii. पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार शिक्षा।
- iv. पशु चिकित्सा सर्जरी और रेडियोलॉजी,
- v. पशु चिकित्सा मेडिसिन,
- vi. पशु चिकित्सा गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स।

अनुसूची – III

प्ररूप X और XI में आवेदनों की प्राप्ति की अनुसूची

क्रम संख्या	निपटाने का स्तर	अंतिम तारीख
1	केंद्रीय सरकार और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	आवेदन करने की तिथि
2	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा आवेदनों की संवीक्षा और केंद्रीय सरकार को एक प्रति भेजने के साथ त्रुटिपूर्ण पाए गए आवेदनों को आवेदक को वापस लौटाना	आवेदन करने की तिथि से 15 दिन
3	आवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के पश्चात आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना	आवेदन करने की तिथि से 30 दिन
4	अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद की केंद्रीय सरकार को सिफारिशें	आवेदन करने की तिथि से 90 दिन
5	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र के नवीकरण के लिए पत्र जारी करना	आवेदन करने की तिथि से 120 दिन

जिन सभी महाविद्यालयों के लिए अनुमति पत्र का नवीकरण या मान्यता अप्रैल के तीसवें दिन से पहले जारी की जाती है, उन्हें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में छात्रों को दाखिला देने की अनुमति दी जाएगी।

*केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, तो समय सीमा में आवश्यक छूट दे सकती है।

प्ररूप-1 पशु चिकित्सा अर्हता या पशु चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने/अनुज्ञा पत्र के नवीकरण / पशु चिकित्सा अर्हता की मान्यता / पशु चिकित्सा महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन

क्र.सं.	विवरण	
1.	आवेदक का नाम	
2.	आवेदक का पता	
3.	आवेदक की श्रेणी	(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/कानूनी स्वायत्त निकाय/सोसाइटी/न्यास/वक्फ/धारा-8 कंपनी)
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति	(संलग्न/संलग्न नहीं)
5.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता	
6.	पशु चिकित्सा अर्हता का नाम	
7.	संबद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम	
8.	अनुज्ञा पत्र (यदि जारी किया गया हो)	(संलग्न/संलग्न नहीं)
9.	अनुज्ञा पत्र का नवीकरण (यदि जारी किया गया हो)	(संलग्न/संलग्न नहीं)
10.	पहली अनुसूची में शामिल करने की अधिसूचना	(संलग्न/संलग्न नहीं)
11.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं। (चरण-वार अपेक्षाओं का वर्णन अनुसूची II में किया गया है)	
12.	प्रबंधन का विवरण शासी निकाय या समकक्ष का गठन। क. कार्यकारी प्राधिकारी का विवरण।	
13.	शैक्षिक कार्यक्रम क. विद्यार्थियों की वार्षिक दाखिला संख्या: ख. अंगीकार किया जाने वाला दाखिला मानदंड: ग. आरक्षण या अधिमान्य आबंटन नीति: घ. विभागवार और वर्षवार अध्ययन पाठ्यचर्या, सिद्धांत और व्यावहारिक, दोनों।	(संलग्न/संलग्न नहीं)
14.	शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक जनशक्ति	(संलग्न/संलग्न नहीं)
15.	लेआउट और भवन योजनाएँ क. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, VCC और ILFC का मास्टर प्लान	(संलग्न/संलग्न नहीं)

	ख. लेआउट योजना ग. पशु चिकित्सा महाविद्यालय, VCC, ILFC और अन्य भवनों की तल-वार योजना	
16.	उपकरण सूची	(संलग्न/संलग्न नहीं)

टिप्पण:— मद 11 से 14 के लिए सुसंगत MSVE मानकों और जनशक्ति, अवसंरचना तथा उपकरणों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची:

1. आवेदक के संपूर्ण सांविधानिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
2. आवेदक के रजिस्ट्रीकरण या निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
3. संकल्प या अन्य प्राधिकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, जिसके द्वारा आवेदक को पशु चिकित्सा महाविद्यालय की दाखिला क्षमता में वृद्धि करने और इन नियमों के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
4. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र (प्ररूप II) (प्ररूप IX)।
5. राज्य सरकार या यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र सरकार या प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र (प्ररूप III) (प्ररूप X)।
6. किसी विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता की सहमति के पत्र (फॉर्म IV)/(फॉर्म-XI) की प्रमाणित प्रति या किसी विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता या अस्थायी संबद्धता का पत्र/प्रमाणपत्र।
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक और अन्य सुविधाओं को सत्यापन करने वाली संबंधित विश्वविद्यालय की रिपोर्ट (प्ररूप V)।
8. पत्र या अनुज्ञा या अनुज्ञा पत्र के नवीकरण या प्रथम अनुसूची में शामिल किए जाने की अधिसूचना की प्रमाणित प्रति।
9. एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें भवन कार्यक्रम, शिक्षण कार्यक्रम, उपस्कर कार्यक्रम और जनशक्ति कार्यक्रम सम्मिलित हों।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वामित्व के सबूत के रूप में उपलब्ध कुल भूमि के संबंध में हक विलेख/विक्रय विलेख/उपहार विलेख/किसी अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
11. जहां भूमि को पट्टे पर जारी किया गया है वहां पट्टा विलेख की सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति।
12. उपलब्ध स्थलों पर आंचलिक योजनाओं की प्रमाणित प्रति, जिसमें उनकी भूमि के उपयोग या भूमि उपयोग प्रमाणपत्रों और भूमि संपरिवर्तन प्रमाणपत्रों को, जहां लागू हों, जिन्हें सुसंगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उपदर्शित किया गया हो।

13. भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, जिसमें भू-सर्वेक्षण संख्या और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के स्थल को तथा आईएलएफसी के साथ संलग्न सड़कों से पहुंच को उपदर्शित करते हुए अंतर्विष्ट करने वाले क्षेत्र का मानचित्र, जो राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
14. वास्तुविद् परिषद (COA) के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थल योजना और भवन योजना, जिसे संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम योजना मंजूरी प्राधिकारी द्वारा सम्यकतः अनुमोदित किया गया हो।
15. वास्तुविद् परिषद (COA) के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित सभी विद्यमान नियोजित भवनो की तल-वार योजना, और प्रत्येक कक्ष का कार्पेट क्षेत्र (वर्ग फुट में), और ऊंचाई।
16. आवेदक की पशु चिकित्सा महाविद्यालय में नियोजित संकाय से घोषणाएं (प्ररूप VI)।
17. आवेदक पशु चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य स्टॉफ से घोषणाएं (प्रपत्र-VII)
18. आवेदक की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा साम्यकतः प्रमाणीत पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित तुलन-पत्र (प्रपत्र-VII)
19. यथाविनिर्दिष्ट फीस
20. आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम या अधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यकतः नोटरीकृत वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी है (प्रपत्र -VIII)/(प्रपत्र-XII)।
21. सौ रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर यह कथन करते हुए एक शपथ-पत्र कि आवेदन में दी गई सूचना सत्य है और यह कथन कि आवेदक सभी सूचना का प्रकट करने में असफल रहता है या किसी सूचना को छिपाता है या मिथ्या कथन करता है या यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना मिथ्या है तो वह विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का दायी होगा, जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन अनुदत्त मान्यता को समाप्त करना या अनुज्ञा को वापस लेना भी है, किंतु उस तक ही सीमित नहीं है।
22. कोई अन्य दस्तावेज, जिसे आवेदक प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है (कृपया ब्यौरे उपदर्शित करें)।

प्ररूप II - राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में (आवेदक),

.....(आवेदक का नाम)..... ने

(फोन नंबर सहित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता) पर एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्,.....(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) की सरकार/प्रशासन को पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् न्यूनतम पशु चिकित्सा शिक्षा मानक - (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक — डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है और इस निमित्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप III –**विषय: अनिवार्यता प्रमाणपत्र**

संख्या तारीख

..... सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में(आवेदक), महोदय,

.....(आवेदक का नाम) ने..... में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यान विचार करने के बाद,.....सरकार ने आवेदक को..... (सीटों की संख्या) के साथ एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने का विनिश्चय किया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि :--

- (1) जनहित में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना वांछनीय है;
- (2) (आवेदक का नाम) द्वारा..... में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना व्यवहार्य है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित विनियमों और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बड़ी हुई क्षमता के लिए अवसंरचना का सृजन करने में असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बड़ी हुई क्षमता की अनुज्ञा को वापस ले लिया जाता है तो वह पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को दाखिल न करने में पूर्ण सहयोग देगा।

भवदीय,

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अनिवार्यता प्रमाणपत्र के अनुबंध:--

क. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थाओं की संख्या।

ख. उपलब्ध सीटों की संख्या या वार्षिक रूप से स्नातक होने वाले पशु चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या।

ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास रजिस्ट्रीकृत पशु व्यावसायियों की संख्या।

घ. सरकारी सेवा में पशु चिकित्सा व्यावसायियों की संख्या।

ङ. पशु चिकित्सा व्यावसायियों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या।

च. राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यावसायियों और पशु संख्या अनुपात अनुपात।

छ. राज्य द्वारा हासिल किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सा व्यावसायियों और पशु संख्या का अनुपात।

ज. प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का पूर्ण औचित्य।

प्ररूप IV - IV विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति का पत्र

तारीख संख्या

स्थान

..... विश्वविद्यालय

विषय : संबद्धता की सहमति पत्र।**..... (पशुचिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पत)**

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर और विश्वविद्यालय (संबद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम) के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर माननीय कुलपति (प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) जिसे..... (आवेदक का नाम) द्वारा स्थापित किया जाएगा, को पशु चिकित्सा महाविद्यालय को केंद्रीय सरकार पशु चिकित्सा महाविद्यालय या पशु चिकित्सा अर्हता (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक/पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक) जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में शामिल किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, संबद्ध करने के लिए सहमत हो गए हैं।

रजिस्ट्रार**(नाम और/शासकीय मोहर सहित हस्ताक्षर)**

प्ररूप V - पशु चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं पर विश्वविद्यालय की संबद्धकारी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट

.....विश्वविद्यालय की संबद्धकारी समिति ने (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में उपलब्ध सुविधाओं का को निरीक्षण किया। यह प्रमाणित किया जाता है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सभी सुविधाएँ पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम, ...(वर्ष) के अनुसार हैं।

(रजिस्ट्रार)

प्ररूप VI

.....में शैक्षिक कर्मचारीवृंद की घोषणा

(व्यष्टिक शिक्षक द्वारा भरा जाएगा)

.....शैक्षिक सत्र के लिए

शिक्षक का
पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो, जिस पर
डीन/प्राचार्य
द्वारा हस्ताक्षर
किया गया हो

1. शैक्षिक कर्मचारीवृंद का नाम स्पष्ट अक्षरों में

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

2. पिता का नाम

3. माता का नाम

4. जन्म की तारीख

5. आधार नं. (एक प्रति संलग्न की जाए)

6. PAN नं.

7. वर्तमान पद

8. नियोजन का विवरण (जहाँ लागू हो)

- (i) विभाग
- (ii) नियुक्ति की प्रकृति: नियमित /तदर्थ /संविदा /शिक्षण एसोसिएट सहयोगी /अस्थायी
- (iii) वर्तमान संस्थान में शामिल होने की तिथि
- (iv) आवासीय पता
- (v) स्थायी पता
- (vi) टेलीफोन नंबर कार्यालय

निवास—मोबाइल नं.—

(vii) ई-मेल आईडी:

(viii) वर्तमान नियुक्ति का वेतनमान :

(ix) राज्य पशु चिकित्सा परिषद पंजीकरण (संख्या, दिनांक और वैधता):

(x) उस राज्य पशु चिकित्सा परिषद का नाम जहाँ पंजीकृत हैं:

9. अर्हता का विवरण:

अर्हता (1)	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	अभिभूत अंक (% में) या ओजीपीए (OGPA)	अध्ययन किए गए विषय
	(2)	(3)	(4)	OGPA (5)	(6)
पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक					
एम.वी.एससी					
पीएच.डी					
पोस्ट-डॉक					

11. शिक्षण/अभ्यास अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में विगत से वर्तमान तक):

पदनाम	संस्था का नाम	विभाग	से	तक	कुल अनुभव, वर्षों और महीनों में
प्रदर्शक या शिक्षण					
सहयोगी					
सहायक आचार्य					
सह-आचार्य					
आचार्य					
वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
वरिष्ठ वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
प्रधान वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
राज्य या केंद्रीय पशुपालन विभाग आदि में पशुचिकित्सा व्यवसायी					
निजी व्यवसाय					
अन्य (निर्दिष्ट करें)					
कुल शिक्षण अनुभव					
शिक्षण के अलावा कुल अनुभव जैसे विस्तार, आदि।					

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपर्युक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।

पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

(1) मैं डा. जो महाविद्यालय..... के..... विभाग में कार्य कर रहा हूं, सम्पुष्टि करता हूं कि मैं पूर्णकालिक शिक्षक हूं, जो पूर्वाह्न... से अपराह्न... तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं कहीं भी व्यवसाय नहीं कर रहा हूं न ही मैं कहीं और नियोजित हूं।

2. मैं..... (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में शिक्षण के लिए..... शैक्षिक सत्र के लिए नियोजित हूं और मैंने उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में स्वयं को उपलब्ध नहीं किया है।

3. कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण व्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

4. यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा। यह भी समझा जाता है कि ऐसी दशा में अधोहस्ताक्षरी अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उसके नाम को राज्य पशु चिकित्सा परिषद् या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर से हटाना सम्मिलित है, का भी दायी होगा।

शिक्षक के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

द्वारा पृष्ठांकित

1. मोहर और तारीख सहित महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन के हस्ताक्षर
2. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं..(1)	दस्तावेज (2)	प्रस्तुत (3)
1	महाविद्यालय के डीन या प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो।	हां/नहीं
2	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां/नहीं
3	वर्तमान संस्थान के पदोन्नति आदेश सहित नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतियां।	हां/नहीं
4	निवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या वोटर कार्ड या बिजली बिल या टेलीफोन बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या स्थानीय सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्राप्ति।	हां/नहीं
5	वर्तमान संस्था में शामिल होने की तारीख	हां/नहीं
6	स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के प्रमाणपत्रों की प्रतियां।	हां/नहीं
7	राज्य पशुचिकित्सा परिषद के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां/नहीं
8	सभी शिक्षण नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां	हां/नहीं
9	पिछली संस्था से निर्मुक्ति आदेश।	हां/नहीं
10	पैन कार्ड की प्रति	हां/नहीं
11	पिछले वित्तीय वर्ष के फार्म 16 (टीडीएस प्रमाण पत्र) की प्रति	
12	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र और विवरण	हां/नहीं
13	वेतन प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण	हां/नहीं
14	आधार कार्ड की कॉपी	हां/नहीं

शिक्षक के हस्ताक्षर और पूरा नाम

मोहर के साथ

दिनांक:

डीन या प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रपत्र -VII

.....में गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद की घोषणा

गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो जिस पर डीन/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(व्यष्टिक द्वारा भरा जाएगा)

1. स्पष्ट अक्षरों में गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद का नाम
2. पिता का नाम
3. माता का नाम
4. जन्मतिथि
5. आधार सं.
6. पैन कार्ड सं.
7. पदधारी का वर्तमान पदनाम
8. रोजगार विवरण:
 - i. विभाग
 - ii. नियुक्ति की प्रकृति: नियमित/तदर्थ/संविदात्मक/अस्थायी
 - iii. वर्तमान संस्थान में शामिल होने की तिथि
 - iv. पदधारी के निवास का पता
 - v. स्थायी पता
 - vi. टेलीफोन नंबर –
 1. कार्यालय:
 2. आवास:
 - vii. ई-मेल आईडी
 - viii. वर्तमान नियुक्ति का वेतनमान

12. अर्हता का विवरण (जहां लागू हो):

अर्हता	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	अभिप्रात अंक (प्रतिशत में) या सीजीपीए	अध्ययन किए गए विषय

13. अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में विगत से वर्तमान तक):

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपर्युक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।
पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

- (1) मैं.....जो महाविद्यालय के..... विभाग में कार्य कर रहा हूं, सम्पुष्टि करता हूं कि मैं.....पूर्वाह्न से अपराह्न तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं कहीं और नियोजित नहीं हूं।
- (2) कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- (3) यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा।

पूरे नाम के साथ हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

द्वारा पृष्ठांकित

1. मोहर और तारीख सहित महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन के हस्ताक्षर
2. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं. (1)	दस्तावेज (2)	प्रस्तुत (3)
1	कर्मचारी का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।	हां/नहीं
2	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां/नहीं
3	सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी पहचान-पत्र के सबूत की फोटो: पासपोर्ट या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आदि	हां/नहीं
4	वर्तमान संस्था के प्रोन्नति आदेश सहित नियुक्ति आदेश, की प्रमाणित प्रतियां	हां/नहीं
5	निवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या बिजली बिल या टेलीफोन बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों से प्रमाणन की प्रति को	हां/नहीं
6	वर्तमान संस्था में सम्मिलित होने की रिपोर्ट	हां/नहीं
7	शैक्षिक अर्हताओं को उपदर्शित करने वाले प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां/नहीं
8	सभी पूर्व नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति	हां/नहीं
9	पिछले रोजगार के स्थान से निर्मुक्ति आदेश	हां/नहीं
10	पैन कार्ड की प्रति	हां/नहीं
11	पिछले वित्त वर्ष के फॉर्म 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) की प्रति	हां/नहीं
12	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र और विवरण	हां/नहीं
13	वेतन प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण	हां/नहीं
14	आधार कार्ड की एक प्रति	हां/नहीं

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
तारीख:

पूरे नाम एवं मोहर सहित डीन या प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर

प्रपत्र - VIII.**आवदेक द्वारा गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला वचनबंध**

मैं या हम (न्यासी या अध्यक्ष या प्राचार्य या निदेशक या प्रमुख या रजिस्ट्रार का नाम)..... (पशुचिकित्सा महाविद्यालय या न्यास या सोसायटी आदि का नाम) निम्नलिखित..... (संस्था या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) को (शैक्षिक सत्र) के लिए मान्यता अनुदत्त करने के लिए हमारे आवदेन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

1. पशुचिकित्सा महाविद्यालय का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित अभी नियमों के अनुसार अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं को कराने के लिए दायी होगा।
2. विद्यार्थियों का दाखिला पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी नीति के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हासिल योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों या निशक्त व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।
4. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के पश्चात ही किया जाएगा।
5. केंद्रीय सरकार और / भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार नियमित आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी।
6. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
8. (सोसाइटी या न्यास या महाविद्यालय या संस्था आदि का नाम) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्निधियों और मानकों तथा अधिकथित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्त के संबंध में अननुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व पशुचिकित्सा महाविद्यालय या उसके शासी निकाय के होंगे।
9. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुज्ञा देने या मान्यता प्रदान करने के लिए उपदर्शित सभी संनियमों और शर्तों को देख लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथास्थिति पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपदर्शित विनियम भी हैं तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो, जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
10. शासी निकाय स्वीकार करती है कि किसी भी नियम या विनियम के उल्लंघन पर भारतीय पशुचिकित्सा परिषद को जमा बैंक गारंटी समपहृत कर ली जाएगी।
11. पशुचिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

12. शिक्षण/अभ्यास अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में विगत से वर्तमान तक):

पदनाम	संस्था का नाम	विभाग	से	तक	कुल अनुभव, वर्षों और महीनों में
प्रदर्शक या शिक्षण					
सहयोगी					
सहायक आचार्य					
सह-आचार्य					
आचार्य					
वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
वरिष्ठ वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
प्रधान वैज्ञानिक (ICAR आदि जैसे किसी भी अनुसंधान संस्थान में)					
राज्य या केंद्रीय पशुपालन विभाग आदि में पशुचिकित्सा व्यवसायी					
निजी व्यवसाय					
अन्य (निर्दिष्ट करें)					
कुल शिक्षण अनुभव					
शिक्षण के अलावा कुल अनुभव जैसे विस्तार, आदि।					

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपर्युक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।

पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

(1) मैं डा. जो महाविद्यालय..... के..... विभाग में कार्य कर रहा हूं, सम्पुष्टि करता हूं कि मैं पूर्णकालिक शिक्षक हूं, जो पूर्वाह्न... से अपराह्न... तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं कहीं भी व्यवसाय नहीं कर रहा हूं न ही मैं कहीं और नियोजित हूं।

2. मैं..... (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में शिक्षण के लिए..... शैक्षिक सत्र के लिए नियोजित हूं और मैंने उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में स्वयं को उपलब्ध नहीं किया है।

3. कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण व्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

4. यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा। यह भी समझा जाता है कि ऐसी दशा में अधोहस्ताक्षरी अनुशासनिक कार्रवाई, जिसके अंतर्गत उसके नाम को राज्य पशु चिकित्सा परिषद् या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर से हटाना सम्मिलित है, का भी दायी होगा।

शिक्षक के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

द्वारा पृष्ठांकित

1. मोहर और तारीख सहित महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन के हस्ताक्षर
2. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.(1)	दस्तावेज (2)	प्रस्तुत (3)
1	महाविद्यालय के डीन या प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो।	हां/नहीं
2	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां/नहीं
3	वर्तमान संस्थान के पदोन्नति आदेश सहित नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रतियां।	हां/नहीं
4	निवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या वोटर कार्ड या बिजली बिल या टेलीफोन बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या स्थानीय सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्राप्ति।	हां/नहीं
5	वर्तमान संस्था में शामिल होने की तारीख	हां/नहीं
6	स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के प्रमाणपत्रों की प्रतियां।	हां/नहीं
7	राज्य पशुचिकित्सा परिषद् के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां/नहीं
8	सभी शिक्षण नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां	हां/नहीं
9	पिछली संस्था से निर्मुक्ति आदेश।	हां/नहीं
10	पैन कार्ड की प्रति	हां/नहीं
11	पिछले वित्तीय वर्ष के फार्म 16 (टीडीएस प्रमाण पत्र) की प्रति	
12	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र और विवरण	हां/नहीं
13	वेतन प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण	हां/नहीं
14	आधार कार्ड की कॉपी	हां/नहीं

शिक्षक के हस्ताक्षर और पूरा नाम

मोहर के साथ

दिनांक:

डीन या प्राचार्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रपत्र -VII

.....में गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद की घोषणा

गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो जिस पर डीन/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(व्यष्टिक द्वारा भरा जाएगा)

9. स्पष्ट अक्षरों में गैर-शिक्षण कर्मचारीवृंद का नाम
10. पिता का नाम
11. माता का नाम
12. जन्मतिथि
13. आधार सं.
14. पैन कार्ड सं.
15. पदधारी का वर्तमान पदनाम
16. रोजगार विवरण:
 - i. विभाग
 - ii. नियुक्ति की प्रकृति: नियमित/तदर्थ/संविदात्मक/अस्थायी
 - iii. वर्तमान संस्थान में शामिल होने की तिथि
 - iv. पदधारी के निवास का पता
 - v. स्थायी पता
 - vi. टेलीफोन नंबर –
 1. कार्यालय:
 2. आवास:
 - vii. ई-मेल आईडी
 - viii. वर्तमान नियुक्ति का वेतनमान

12. अर्हता का विवरण (जहां लागू हो):

अर्हता	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	अभिप्रात अंक (प्रतिशत में) या सीजीपीए	अध्ययन किए गए विषय

14. अनुभव का विवरण (कालानुक्रमिक क्रम में विगत से वर्तमान तक):

टिप्पण: जहां भी पदधारी के पास उपर्युक्त कथन के अनुसार अपेक्षित श्रेणी का अनुभव नहीं है वहां कृपया लागू नहीं लिखें।
पदधारी द्वारा घोषणा

(नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक्तः सत्यापित गैर न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत की जाएगी)

(4) मैं.....जो महाविद्यालय के..... विभाग में कार्य कर रहा हूं, सम्पुष्टि करता हूं कि मैं.....पूर्वाह्न से अपराह्न तक प्रतिदिन इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं कहीं और नियोजित नहीं हूं।

(5) कार्य अनुभव के संबंध में पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(6) यह घोषणा की जाती है कि इस घोषणा का प्रत्येक कथन और अंतर्वस्तु तथा दस्तावेज और प्रमाणपत्र, जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषणा के साथ प्रस्तुत किया गया है, सही और सत्य हैं। इस कथन में किसी घोषणा के पश्चातवर्ती रूप से असत्य या मिथ्या पाए जाने की दशा में उसे गंभीर कदाचार समझा जाएगा, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी विधि के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए दायी होगा।

पूरे नाम के साथ हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

द्वारा पृष्ठांकित

1. मोहर और तारीख सहित महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन के हस्ताक्षर

2. पूरे नाम एवं पदनाम सहित शासी निकाय के अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र.सं. (1)	दस्तावेज (2)	प्रस्तुत (3)
1	कर्मचारी का हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो, जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य या डीन द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।	हां/नहीं
2	जन्म की तारीख के सबूत की प्रति	हां/नहीं

3	सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी पहचान-पत्र के सबूत की फोटो: पासपोर्ट या पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस आदि	हां/नहीं
4	वर्तमान संस्था के प्रोन्नति आदेश सहित नियुक्ति आदेश, की प्रमाणित प्रतियां	हां/नहीं
5	निवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र या बिजली बिल या टेलीफोन बिल या ड्राइविंग लाइसेंस या स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों से प्रमाणन की प्रति को	हां/नहीं
6	वर्तमान संस्था में सम्मिलित होने की रिपोर्ट	हां/नहीं
7	शैक्षिक अर्हताओं को उपदर्शित करने वाले प्रमाणपत्र की प्रतियां	हां/नहीं
8	सभी पूर्व नियुक्तियों के लिए अनुभव प्रमाणपत्रों की प्रति	हां/नहीं
9	पिछले रोजगार के स्थान से निर्मुक्ति आदेश	हां/नहीं
10	पैन कार्ड की प्रति	हां/नहीं
11	पिछले वित्त वर्ष के फॉर्म 16 (टीडीएस प्रमाणपत्र) की प्रति	हां/नहीं
12	भविष्य निधि कटौती प्रमाणपत्र और विवरण	हां/नहीं
13	वेतन प्राप्ति के प्रमाण के रूप में पिछले एक वर्ष का बैंक विवरण	हां/नहीं
14	आधार कार्ड की एक प्रति	हां/नहीं

पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

पूरे नाम एवं मोहर सहित डीन या प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर

तारीख:

प्रपत्र - VIII.**आवदेक द्वारा गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला वचनबंध**

मैं या हम (न्यासी या अध्यक्ष या प्राचार्य या निदेशक या प्रमुख या रजिस्ट्रार का नाम)..... (पशुचिकित्सा महाविद्यालय या न्यास या सोसायटी आदि का नाम) निम्नलिखित..... (संस्था या पाठ्यक्रम या कार्यक्रम) को (शैक्षिक सत्र) के लिए मान्यता अनुदत्त करने के लिए हमारे आवदेन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

13. पशुचिकित्सा महाविद्यालय का प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित अभी नियमों के अनुसार अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं को कराने के लिए दायी होगा।
14. विद्यार्थियों का दाखिला पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उसकी नीति के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हासिल योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
15. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों या निशक्त व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा।
16. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के पश्चात ही किया जाएगा।
17. केंद्रीय सरकार और / भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार युक्तियुक्त रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार नियमित आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी।
18. अंशकालीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
19. पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
20. (सोसाइटी या न्यास या महाविद्यालय या संस्था आदि का नाम) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार के सन्निधियों और मानकों तथा अधिकथित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्त के संबंध में अननुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केंद्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसे मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व पशुचिकित्सा महाविद्यालय या उसके शासी निकाय के होंगे।
21. पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा अनुज्ञा देने या मान्यता प्रदान करने के लिए उपदर्शित सभी संनियमों और शर्तों को देख लिया है, उनका अध्ययन कर लिया है तथा उन्हें समझ लिया है जिसके अंतर्गत यथास्थिति पशुचिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए उपदर्शित विनियम भी हैं तथा वह उनको पूरा करते हैं या निरीक्षण के समय उनको पूरा कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो, जिसके ना हो सकने पर वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार है।
22. शासी निकाय स्वीकार करती है कि किसी भी नियम या विनियम के उल्लंघन पर भारतीय पशुचिकित्सा परिषद को जमा बैंक गारंटी समपहृत कर ली जाएगी।

23. पशुचिकित्सा महाविद्यालय का नाम और पता केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम स्पष्ट अक्षरों में

स्थान:

तारीख:

साक्षी: 1.

2.

प्ररूप – IX राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र / प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र

संख्या:

दिनांक:

-----सरकार

पशुपालन विभाग

सेवा में,

(आवेदक),

(आवेदक का नाम)----- ने----- (पशुचिकित्सा महाविद्यालय का नाम), ----- (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पूरा पता दूरभाष नं. सहित) में दाखिला क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात्----- (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) की सरकार/ प्रशासन को उक्त महाविद्यालय की दाखिला क्षमता बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है और इस आशय से यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप – X**विषय: अनिवार्यता प्रमाणपत्र**

संख्या दिनांक

..... सरकार

पशुपालन विभाग,

सेवा में,

(आवेदक),

महोदय,

(व्यक्ति का नाम)----- ने ----- (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पता) पर स्थित, ----- (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम), में दाखिला क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त, सरकार ने आवेदक को----- (सीटों की संख्या) वाले पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)----- में सीटों की संख्या ----- से बढ़ाकर----- सीट करना लोकहित में वांछनीय है।
2. (आवेदक का नाम)----- द्वारा (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) ----- में सीटों की संख्या ----- से बढ़ाकर----- सीट करना व्यवहार्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचना का सृजन करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि नए दाखिले की अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा वापस ले ली जाती है तो राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पहले से ही पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने में पूर्ण सहयोग करेगा।

भवदीय,

(राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अनिवार्यता प्रमाणपत्र के अनुबंध:-

- क. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान पशु चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थाओं की संख्या
- ख. उपलब्ध सीटों की संख्या या वार्षिक रूप से स्नातक होने वाले पशु चिकित्सकों की संख्या
- ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद के पास पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यावसायियों की संख्या
- घ. सरकारी सेवा में पशु चिकित्सा व्यावसायियों की संख्या
- ङ. पशु चिकित्सा व्यावसायियों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या
- च. राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इस समय पशु चिकित्सा व्यावसायियों और पशु संख्या का अनुपात
- छ. राज्य द्वारा प्राप्त किया जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सा व्यावसायियों और पशु संख्या का अनुपात
- ज. प्रस्तावित पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का पूर्ण औचित्य

प्ररूप- XI**विश्वविद्यालय से सहमति पत्र**

संख्या दिनांक

स्थान

..... विश्वविद्यालय

विषय : (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का पता सहित नाम) के पक्ष में सहमति पत्र।

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर और (संबद्धकारी विश्वविद्यालय का नाम) के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन पर माननीय कुलपति, पत्र संख्या.....के द्वारा विश्वविद्यालय से पहले से संबद्ध----- (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में प्रवेश क्षमता को (सीटों की संख्या) से (स्थानों की संख्या) तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।

रजिस्ट्रार

(नाम और कार्यालय की मोहर के साथ हस्ताक्षर)

प्ररूप- XII

पशु चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरी द्वारा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचनबंध

मैं----- या हम(न्यासी या अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक या निदेशक या प्रमुख या रजिस्ट्रार का नाम),
..... (पशु चिकित्सा महाविद्यालय या न्यास या सोसायटी या विश्वविद्यालय आदि का नाम), निम्नलिखित
..... (पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम) में..... (शैक्षिक वर्ष) सत्र से दाखिला क्षमता में वृद्धि करने के लिए
हमारे आवेदन के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन करने का वचनबंध करते हैं।

1. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का प्रबंधन केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों, मापदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार तथा समय समय पर भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विरचित विनियमों के अनुसार अवसंरचना, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।
2. विद्यार्थियों का दाखिला पात्रता शर्तों को पूरा करने के पश्चात् राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा उनकी नीति के अनुसार संचालित प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा हासिल योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
3. राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों या दिव्यांगजनों और अन्य प्रवर्गों के लिए सीटों का आरक्षण होगा।
4. पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के पश्चात् ही किया जाएगा।
5. केन्द्रीय सरकार और/ या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार पूर्णकालिक रूप से व्यापक विज्ञापन द्वारा और सम्यक्ता गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार नियमित आधार पर पूर्णकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की जाएगी।

6. अंशकालिक कर्मचारीवृंद की नियुक्ति राज्य सरकार या संबद्धकारी विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
7. पशु चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और मानकों का पालन करेगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन ईमानदारी पूर्वक करेगा तथा किसी भी समय भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।
8.(महाविद्यालय या संस्था आदि का नाम) द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केन्द्रीय सरकार के सन्निधियों और मानकों तथा अधिसूचित या विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के संबंध में अननुपालन की दशा में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या केन्द्रीय सरकार उसकी मान्यता या अनुज्ञा को प्रभावी रूप से वापस लेने के लिए किसी अन्य मुद्दे पर विचार किए बिना सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी मान्यता वापस लेने से सभी प्रकार के उत्तरदायित्व पशु चिकित्सा महाविद्यालय या उसके शासी निकाय के होंगे।
9. विश्वविद्यालय अथवा पशु चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय ने प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में मान्यता अथवा अनुज्ञा प्रदान करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं शर्तों का, जिनमें यथास्थिति न्यूनतम पशु चिकित्सा शिक्षा मानक विनियमों में निर्धारित मानदंड एवं शर्तें भी शामिल हैं को देख लिया, अध्ययन कर लिया और पूर्णतः समझ लिया है, और उसे विश्वास है कि उक्त मानदंड एवं शर्तें संतोषजनक रूप से पूरी करते हैं अथवा निरीक्षण के समय पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा न होने की स्थिति में वह प्रतिकूल विनिश्चय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
10. शासी निकाय यह स्वीकार करता है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी नियमों अथवा विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी।
11. पशु चिकित्सा महाविद्यालय का नाम एवं पता केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(प्राधिकृत प्रतिनिधि या हस्ताक्षरकर्ता के शासकीय पद और उसकी कार्यालय की मोहर के साथ हस्ता)

[फा. सं. के – 12/09/2026- एलएच (ई-43460)]

आर.एस. सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2026

G.S.R. 876(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 64 read with sections 15 and 21 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; after supersession of the Veterinary Council of India (Procedure for Recognition and De-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017; except as respects things done or omitted to be done before such supersession; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary to Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001 or on email jslh-dadf@nic.in;

Objections and suggestions, if any, received from any person in respect of said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

1. **Short title and commencement.-** These rules may be called the Veterinary Council of India (Procedure for Recognition and De-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these regulations, unless the context otherwise requires, —

- a. ‘Act’ means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- b. ‘Advisory Committee’ means the committee constituted by the Central Government under rule 16.
- c. “Council” means the Veterinary Council of India established under Section 3 of the Act;
- d. “Form” means a form annexed to these rules;
- e. “First Schedule” means the First Schedule to the Act
- f. “MSVE Regulations” means the Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education - (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry- Degree Course) Regulations, 2016 as notified by the Veterinary Council of India as amended or superseded from time to time.
- g. “President” means the President of the Council;
- h. “Provisionally recognised veterinary college” means a veterinary college which is not included in the First Schedule and where admissions of students are allowed by the Central Government by grant and renewal of letter of permission under these rules.
- i. “Recognised veterinary college” means a Veterinary College recognised by the Central Government by including it in the First Schedule in the manner specified in the Act and these rules;
- j. “Recognised veterinary qualification” means recognised veterinary qualification as defined in clause (e) of Section 2 of the Act;
- k. “Schedule” means a schedule annexed to these rules;
- l. “University” means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act granting veterinary qualification through its constituent or affiliated veterinary college;
- m. “Veterinary College” means a college or institution, being either a constituent college of a University or affiliated to a University, and engaged in teaching of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry degree course or any other veterinary qualification;
- i. “Veterinary Institution” means the institutions as defined in clause (j) of Section 2 of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Recognition of veterinary colleges.**- No person shall establish a Veterinary College and no existing Veterinary College shall admit students or increase the intake of students beyond the permitted number, except after obtaining prior permission from the Central Government in accordance with these rules.

4. **Eligibility Criteria for recognition of veterinary colleges.** - The following organisations shall be eligible to apply in Form—I for recognition of a veterinary college or veterinary qualification, namely:—

- i. a State Government or Union territory Administration;
- ii. a University;
- iii. an autonomous body established by the Central and State Government by or under a statute;
- iv. a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or a n y other Act in a State ;
- v. a public religious or charitable trust created and registered under any Act, in force in the State or a waqf registered under the Waqf Act,1995 (43 of 1995);
- vi. a section 8 company incorporated under the Companies Act, 2013;

5. **Qualifying criteria.**- The organizations eligible under Rule 4 shall qualify to apply for recognition of Veterinary College or a Veterinary qualification, if the following conditions are fulfilled, namely:—

- a. in case the applicant falls in any of the categories other than the categories under clauses (i), (ii) and (iii) of Rule 4, it should have imparting of veterinary education and training as one of its main objectives;
- b. having suitable contiguous land of the size, as specified under the MSVE regulations, to house all structures and encamp all the facilities, owned and possessed by the applicant or possessed by the applicant under a lease of thirty years or more.

Provided that, the Instructional Livestock Farm Complex may be, within a radius of Thirty Kilometers of the campus of the Veterinary College.

Provided further that, all such permissions as may be necessary for construction, establishment, maintenance and operation of the Veterinary College, including a veterinary hospital or veterinary clinical complex and instructional livestock farm complex, has been taken from the competent government agency;

- c. owning and managing a veterinary clinical complex or a veterinary hospital or has an arrangement with a State veterinary hospital, and an Instructional Livestock Farm Complex, as laid down in the MSVE regulations, equipped with all infrastructural facilities as specified therein and the veterinary hospital. Veterinary Clinical Complex, if owned by the applicant, shall be within the campus of the Veterinary College; In case the applicant has an arrangement it shall be within twenty kilometers from the campus of veterinary college;
- d. recruited teaching and non-teaching staff required for the first academic year, as specified in MSVE regulations;
- e. have set up, the required infrastructural facilities for the first and second academic years, as stipulated in the MSVE regulations and Schedule II;
- f. the Veterinary College shall not have the words such as, Government' or 'Indian' or 'National' or 'All India' or any other names prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use), 1950 as part of its name in any form so as to give an impression that the said Veterinary College belongs to or is managed by the Government or has Government patronage and these restrictions shall not be applicable for those Veterinary Colleges which are established by or under and with the name approved by the State or Central Government.

(6) Application for starting of a Veterinary College or veterinary qualification.- The application for starting of a Veterinary College or veterinary qualification shall be submitted in Form—I by any of the organisations eligible under Rule 4, along with the documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of India. The applications shall be submitted in duplicate with one copy provided to the Secretary, Veterinary Council of India.

(2) The application under sub-rule (1) of Rule 6 shall be accompanied by the documents as specified in Form-I.

(7) Procedure for evaluation of the application for starting of a veterinary college or veterinary course.- The council shall scrutinise the applications and any application that is found incomplete in any respect or where the applicant does not meet the eligibility or qualification criteria, shall be returned by the Council to the applicant, with a copy marked to the Central Government, pointing out the deficiencies observed in the application during the scrutiny and giving an opportunity to the applicant to rectify the said deficiencies within the time specified in **Schedule I**.

Provided the Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 if the council fails to take action on any application as per Schedule I.

2. The applications which are found complete and where the applicant fulfills the criteria under Rule 4 and 5, shall be placed before the Executive Committee of the Council constituted under Section 12 of the Act, which shall examine the said applications on the basis of the requirements stipulated in these rules and the requirements under the MSVE regulations.
3. Upon examination of the application, if the Executive Committee decides that it is a fit case for conducting physical inspection of the Veterinary College, it shall depute such number of inspectors as if deemed necessary for inspection of the Veterinary College in accordance with the provision of Section 19 of the Act, the minimum standard of veterinary education regulations. The deputation of the inspectors shall be by draw of a lot.
4. Where the Council forms an opinion that the application is liable to be rejected without conducting a physical inspection, it shall recommend to the central government for rejection along with the reasons for such recommendation. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing. or Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
5. After the inspection is completed, the inspectors shall prepare a report on the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, staff, equipment and other facilities available at the Veterinary College infrastructure and shall submit the same to the Executive Committee of the Council.
6. The Executive Committee, after considering the report mentioned in sub-rule (6), shall send a copy of the said report, with such remarks as may be necessary, to the applicant seeking comments on the contents of the said report and a copy of the inspection report shall be forwarded by the Council to the concerned University.
7. after receipt of the comments from the Veterinary College, the Council shall forward the inspectors' report mentioned in sub-rule (6), along with the Executive Committee's remarks and the comments received from the applicant to the Central Government with a specific recommendation regarding issue a Letter of Permission to the applicant.
8. where the Council recommends to the Central Government against the issue of Letter of Permission to the applicant, it shall submit its reasons for such recommendation in writing. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing. or Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
9. the Central Government may issue a Letter of Permission to the applicant permitting the applicant to admit students to the Veterinary College in accordance with these rules, on submission of bank guarantee referred to in Sub-rule (2) of Rule 15 and a copy of the Letter of Permission shall also be forward by the Central Government to the Council and the concerned University. Provided the Central Government shall exempt applicants in category (i) and (ii) of rule 4 from submission of bank guarantee referred to in Sub-rule (2) of Rule 15.
10. If the Central Government decides not to issue the Letter of Permission, its decision along shall be conveyed to the applicant, with a copy to the Council and the concerned University. Provided the fee paid by the applicant along with the application shall not be refunded.

8. Letter of Permission.- The Letter of Permission shall be granted for the first two academic years and the Veterinary College shall only be allowed to admit students for the first and second academic years.

9. Renewal of letter of permission.-

1. The application for renewal of letter of permission shall be submitted in Form-I by any of the organisations possessing letter of permission, along with the documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of India. The applications shall be submitted in duplicate with one copy provided to the Secretary, Veterinary Council of India.

2. The application under sub-rule (1) of Rule 9 shall be accompanied by the documents as specified in Form-I.
3. All applications under these rules for renewal of the Letter of Permission shall be processed according to the time-schedule specified in **Schedule III**.

10. Procedure for evaluation of the application for renewal of Letter of Permission.—The council shall scrutinise the applications and any application that is found incomplete in any respect or where the applicant does not meet the eligibility or qualification criteria, shall be returned by the Council to the applicant, with a copy marked to the Central Government, pointing out the deficiencies observed in the application during the scrutiny and giving an opportunity to the applicant to rectify the said deficiencies within the time specified in **Schedule II**.

Provided the Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 if the council fails to take action on any application as per Schedule I.

2. The applications which are found complete and where the applicant fulfills the criteria specified in Schedule II and MSVE Regulations, shall be placed before the Executive Committee of the Council constituted under Section 12 of the Act, which shall examine the said applications on the basis of the requirements stipulated in these rules and the requirements under the MSVE regulations.
3. Upon examination of the application, if the Executive Committee decides that it is a fit case for conducting physical inspection of the Veterinary College, it shall depute such number of inspectors as if deemed necessary for inspection of the Veterinary College in accordance with the provision of Section 19 of the Act, the minimum standard of veterinary education regulations and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991. The deputation of the inspectors shall be by draw of a lot.
4. Where the Council forms an opinion that the application is liable to be rejected without conducting a physical inspection, it shall recommend to the central government for rejection along with the reasons for such recommendation. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing. or Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
5. After the inspection is completed, the inspectors shall prepare a report on the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, staff, equipment and other facilities available at the Veterinary College infrastructure and shall submit the same to the Executive Committee of the Council.
6. The Executive Committee, after considering the report mentioned in sub-rule (5), shall send a copy of the said report, with such remarks as may be necessary, to the applicant seeking comments on the contents of the said report and a copy of the inspection report shall be forwarded by the Council to the concerned University.
7. after receipt of the comments from the Veterinary College, the Council shall forward the inspectors' report mentioned in sub-rule (5), along with the Executive Committee's remarks and the comments received from the applicant to the Central Government with a specific recommendation regarding issue a Letter of Permission to the applicant.
8. where the Council recommends to the Central Government against the issue of Letter of Permission to the applicant, it shall submit its reasons for such recommendation in writing. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing or may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
9. the Central Government may issue a renewal of Letter of Permission to the applicant permitting the applicant to admit students to the Veterinary College for the third and fourth years in accordance with these rules and a copy of the renewal of Letter of Permission Letter shall also be forward by the Central Government to the Council and the concerned University.
10. If the Central Government decides not to issue a renewal of Letter of Permission, its decision along shall be conveyed to the applicant, with a copy to the Council and the concerned University.

11. Application for recognition of a Veterinary College or Veterinary Qualification by inclusion in the First Schedule.— (1) The application for recognition of Veterinary College or Veterinary Qualification shall be submitted in Form- I by any of the organisations possessing renewal of letter of permission or fulfilling all the requirements as specified in MSVE Regulations, along with the documents as may be specified by these rules, to the

Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of India. The applications shall be submitted in duplicate with one copy provided to the Secretary, Veterinary Council of India.

2. The application under sub-rule (1) of Rule 11 shall be accompanied by the documents as specified in Form- I.
3. All applications under these rules for recognition of a veterinary college or a veterinary course shall be processed according to the time-schedule specified in **Schedule III**.
12. **Procedure for evaluation of the application for recognition of a Veterinary College or Veterinary Qualification by inclusion in the First Schedule.**— The council shall scrutinise the applications and any application that is found incomplete in any respect or where the applicant does not meet the eligibility or qualification criteria, shall be returned by the Council to the applicant, with a copy marked to the Central Government, pointing out the deficiencies observed in the application during the scrutiny and giving an opportunity to the applicant to rectify the said deficiencies within the time specified in **Schedule III**.

Provided the Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 if the council fails to take action on any application as per Schedule III.

2. The applications which are found complete and where the applicant fulfills the criteria specified in Schedule II and MSVE Regulations, shall be placed before the Executive Committee of the Council constituted under Section 12 of the Act, which shall examine the said applications on the basis of the requirements stipulated in these rules and the requirements under the MSVE regulations.
3. Upon examination of the application, if the Executive Committee decides that it is a fit case for conducting physical inspection of the Veterinary College, it shall depute such number of inspectors as if deemed necessary for inspection of the Veterinary College in accordance with the provision of Section 19 of the Act, the minimum standard of The deputation of the inspectors shall be by draw of a lot.
4. Where the Council forms an opinion that the application is liable to be rejected without conducting a physical inspection, it shall recommend to the central government for rejection along with the reasons for such recommendation. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing. or Central government may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
5. After the inspection is completed, the inspectors shall prepare a report on the adequacy of the standards of veterinary education including infrastructure, staff, equipment and other facilities available at the Veterinary College infrastructure and shall submit the same to the Executive Committee of the Council.
6. The Executive Committee, after considering the report mentioned in sub-rule (5), shall send a copy of the said report, with such remarks as may be necessary, to the applicant seeking comments on the contents of the said report and a copy of the inspection report shall be forwarded by the Council to the concerned University.
7. after receipt of the comments from the Veterinary College, the Council shall forward the inspectors' report mentioned in sub-rule (5), along with the Executive Committee's remarks and the comments received from the applicant to the Central Government with a specific recommendation regarding recognition of the veterinary college or veterinary course.
8. where the Council recommends to the Central Government against the recognition of the veterinary college or veterinary course, it shall submit its reasons for such recommendation in writing. Central government may refer the matter back to the council for reconsideration stating the reasons for such reference in writing or may refer the matter to the advisory committee referred to in rule 16 for its advice.
9. the Central Government may recognize the veterinary college or veterinary course and by notification include the veterinary college or the veterinary course in first schedule of the Act. A copy of the notification shall be forwarded by the Central Government to the Council and the concerned University.
10. If the Central Government decides not to recognize the veterinary college or veterinary course, its decision along with the reasons shall be conveyed to the applicant, with a copy to the Council and the concerned University.

(13) **Application for increasing the admission capacity in the recognised Veterinary College.**—An application for increasing the number of intake of students in the recognised Veterinary College or Veterinary Institution shall be submitted in Form—I by any of the colleges or institutions included in the first schedule of the act, along with the

documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of India. The applications shall be submitted in duplicate with one copy provided to the Secretary, Veterinary Council of India.

(14) Procedure for evaluation of application for increase in admission capacity of a recognised Veterinary College or a Veterinary Institution offering a recognised Veterinary Qualification:- The procedure specified in Rule 7 for scrutiny and examination of the application for starting of veterinary college or veterinary course, deputation of inspectors for inspecting the Veterinary College, inspection of the Veterinary College, consideration of the inspection report by the Council, sending of the inspection report to the concerned Veterinary College and the University, receipt of comments from the Veterinary College on the inspection report, recommendation of the council and the issue of Letter of Permission shall apply mutatis mutandis to the application for increasing the admission capacity made under Rule 13.

(15) Fee and Bank Guarantee- The applications in Form-I, shall be accompanied with a fee of rupees one lakh fifty thousand only to be deposited by way of a Demand Draft or Pay Order in the name of Veterinary Council of India, payable at New Delhi. Applicants falling under clauses (i) and (ii) of Rule 4 shall be exempted from such application fee.

(2) A bank guarantee of rupees ten crores shall be submitted in favor of 'the Veterinary Council of India' from any Schedule Bank valid for a period of five years before the issue of Letter of Permission. The said bank guarantee shall be extended from year to year by the applicant and shall at no point be allowed to lapse.

16. **Advisory Committee.** - The Central Government may, for the purpose of issue of letter of permission, or renewal of letter of permission, or recognition of Veterinary Qualification or Veterinary College for any academic year, including the recommendation for inclusion of the Veterinary College or the Veterinary Qualification in the First Schedule, or in respect of an application for increasing the admission capacity of a recognised Veterinary College, constitute an Advisory Committee of experts and refer any matter and obtain technical advice before taking decision.

(2) The Advisory Committee referred to in sub-rule (1) shall comprise of the following members, namely:—

- i. the Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying;
- ii. the Deputy Director General, Indian Council of Agricultural Research dealing with Animal Sciences.
- iii. Vice Chancellors of two Universities which, or Veterinary Colleges affiliated to which, are included in the First Schedule, to be nominated by the Central Government;
- iv. Principal Secretary or Secretary, Department of Animal Husbandry, of the concerned State;

(3) For the purpose of these rules, the Advisory Committee may appoint such number of veterinary inspectors as it may deem fit to inspect the concerned Veterinary College for the purpose of rendering the required advice to the Central Government.

(4) The veterinary inspectors appointed by the Advisory Committee shall have all the rights and duties of the veterinary inspectors appointed by the Council under Section 19 of this Act and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991.

(5) If in a particular case, an inspection has already been conducted by the Council and report thereof submitted to the Central Government, the Advisory Committee may instead of conducting a fresh inspection, tender its advice to the Central Government on the basis of the existing inspection report and if the Advisory Committee deems necessary, it may summon the concerned veterinary inspectors to provide such explanations and clarifications as may be required for the purpose of tendering its advice to the Central Government.

(6) The terms and conditions of services of such members of the Advisory Committee constituted by the Central Government shall be as per the prevailing Rules of the Government of India.

17. **Inspection of Veterinary Colleges or Veterinary Institutions already included in the First Schedule.-** The Veterinary Institutions or Veterinary Colleges which are already included or Veterinary

Qualifications in the First schedule, shall be inspected by the Council from time to time, in accordance with the provisions of Sections 19 or 20 of the Act and the Veterinary Council of India (Inspectors and Visitors) Regulations, 1991, to oversee the compliance of these rules and minimum standard of veterinary education regulations. The inspectors/ visitors shall be by a draw of lot.

2. In the event of the inspection being conducted by Inspectors, the inspection report shall be placed before the Executive Committee of the Council, while in the event of inspection by Visitors, the inspection report shall be submitted to the President of the Council.
3. If upon considering the inspection report, the Council comes to a conclusion that the circumstances as laid down in clause (a) and (b) of sub-sections (1) of Section 21 of the Act exist in respect of the Veterinary Institution or Veterinary College inspected by the Council, the Council shall make a recommendation to that effect to the Central Government.
4. If upon consideration of such representation, the Central Government concludes it to be a fit case, it may, send the said recommendation to the concerned State Government the State in which the Veterinary College or Veterinary Institution is situated for obtaining the responses of the concerned institution.
5. The concerned State Government shall, within thirty days of the receipt of the representation from the Central Government, forward the said representation along with such remarks as it may choose to make to the concerned Veterinary College or Veterinary Institution, requiring the concerned Veterinary College or Veterinary Institution to submit its explanation to the State Government within thirty days of the receipt of the said representation from the State Government.
6. Within fifteen days of the receipt of the explanation or, where no explanation is submitted within the period specified in sub-rule (5) hereinabove, then on expiry of that period, the State Government shall make its recommendation to the Central Government regarding the de-recognition of the Veterinary College or Veterinary Institution.
7. The Central Government may, after the receipt of recommendation from the state Government refer the matter to Advisory committee referred to in rule 16 to make such inquiries into the standards of the concerned Veterinary College or Veterinary Institution as may be necessary and its report within thirty days of referral;
8. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that an entry shall be made in the appropriate Schedule against the concerned Veterinary College or Veterinary Institution declaring that a Veterinary Qualification granted to students of the concerned Veterinary College or Veterinary Institution shall be a recognised Veterinary Qualification only when granted before a specified date;
9. The copies of the notification issued by the Central Government under sub-rule (8) shall be sent to the Council, the concerned State Government, the concerned Veterinary College or Veterinary Institution and the concerned University;

18. Restoration of recognition of de-recognised Veterinary College or Veterinary Institution.-

A de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College, shall not admit students for any of its academic years until such time that its recognition or the recognition of the Veterinary Qualification granted by it is restored.

- (2) An application for restoration of recognition of a de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College after removal of the deficiencies which had formed the basis of its de-recognition along with the documents as may be specified by these rules, to the Secretary, Department of Animal Husbandry, Government of India. The applications shall be submitted in duplicate with one copy provided to the Secretary, Veterinary Council of India.
- (3) An application for restoration of recognition of a de-recognised Veterinary Institution or Veterinary College shall be processed similar to the application for grant of recognition to a Veterinary College by its inclusion in the First Schedule as specified in Rule 12.

19. Shifting of students.- If a de-recognised Veterinary College fails to restore its recognition or if a veterinary college fails to obtain renewal of letter of Permission, as the case may be, at least three months before the commencement of the next immediate academic year or internship year, the students already admitted therein shall be assessed by the University by conducting appropriate tests and based on the results of such assessment tests, the students may be shifted to another recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification affiliated to the same University by the Council, with the approval of Central Government;

Provided that if the University has no other Veterinary Colleges or Veterinary Institution affiliated to it, the students of the de-recognised Veterinary College shall be shifted by the Council to a recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification within the same State within which the de-recognised Veterinary College is situated;

Provided that further that if there is no other Veterinary College or Veterinary Institution within the said State, the Council shall be empowered to shift the students to any other recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary Qualification in the country:

Provided also that no Veterinary Institution or Veterinary College shall not admit any more students than fifteen percent of its sanctioned number of seats.

(2) If the recognition of a de-recognised Veterinary College is not restored or the renewal of letter of permission is not obtained, as the case may be, till such time that the students admitted to it need to be shifted to a recognised Veterinary College or Veterinary Institution granting a recognised Veterinary qualification, the bank guarantee submitted by such college shall be encashed by the Council, the cost of transferring the students including the differences in the fees, under these rules shall be met with the amount realised from encashment of the said bank guarantee.

SCHEDULE – I

Schedule for receipt of applications in Form-I

Sr. No.	Stage of Processing	Timeline *
1.	Receipt of applications by the Central Government and the Veterinary Council of India	Date of application
2.	Scrutiny of the applications by the Veterinary Council of India and return of applications found defective to the applicant with a copy to the Central Government.	30 days from the date of application
3.	Re-submission of the application after removal of defects by the applicant	45 days from the date of application
4.	Recommendations of Veterinary Council of India to Central Government for issue of Letter of Permission by the Central Government.	105 days from the date of application
5.	Issue of Letter of permission by the Central Government.	120 days from the date of application

All the colleges for which the Letter of Permission is issued before the thirtieth day of the June shall be permitted to admit students into the course for the succeeding academic year.

*Central Government may relax the timelines as deemed necessary.

SCHEDULE - II**1. Minimum requirements prior to submission of the application in Form—I by the applicant for recognition of Veterinary College:—** as prescribed in MSVE Regulations.

- a. The applicant should have not less than 15 acres of land in its possession, whether by way of ownership or lease of 30 years or more, earmarked for the Veterinary College.
 - b. The Veterinary College shall have an Administrative Block with the following facilities, namely:—
 - i. Dean or Principal's office room,
 - ii. Room for personal staff,
 - iii. Committee room,
 - iv. Visitors' room,
 - v. Rooms accommodating office staff of Academic, Accounts and Establishment Sections,
 - vi. Record room,
 - vii. Central store room,
 - viii. Toilet facilities for visitors and office staff,
 - c. The Veterinary College shall have recruited the following manpower, as per MSVE Regulations namely:—
 - i. Dean/Principal and his personal staff
 - ii. Staff for the College
 - iii. Staff for the Library
 - d. In addition to the above, the Veterinary College shall have the following common facilities, namely:—
 - i. College Library equipped with books, journals and periodicals; internet connectivity and reading rooms with adequate seating facility.
 - ii. An auditorium with minimum seating capacity of 300;
 - iii. A Canteen;
 - iv. A Conference Hall with minimum seating capacity of 100;
 - v. Two lecture halls with minimum seating capacity of 100 each;
 - vi. Facilities for games and sports including indoor facilities;
 - vii. Separate hostels for boys and girls;
 - viii. Transport facilities
 - ix. Central Computer lab;
 - x. Photography Unit with all facilities
- The following departments shall be established in the Veterinary College with teaching faculty, buildings, manpower and equipment as stipulated in MSVE Regulations:
 - i. Veterinary Anatomy,
 - ii. Veterinary Physiology
 - iii. Veterinary Biochemistry,
 - iv. Livestock Production Management,
 - v. Animal Nutrition
 - vi. Animal Genetics and Breeding
 - vii. Livestock Products and Technology
 - viii. Veterinary Microbiology
 - ix. Veterinary Pathology
 - x. Veterinary Clinical Complex,
 - xi. Instructional Livestock Farm Complex,

2. Minimum requirements prior to submission of the application for renewal of Letter of Permission:

The following departments shall be established in the Veterinary College with teaching faculty, buildings, manpower and equipment as stipulated in MSVE

Regulations before submission of the application for Renewal of Letter of Permission to the Central Government:

- i. Poultry Science,
- ii. Veterinary Pharmacology and Toxicology,

(3) Minimum requirements prior to submission of application in for Final Recognition of the Veterinary College The following departments shall be established in the Veterinary College with teaching faculty, buildings, manpower and equipment as stipulated in MSVE Regulations before submission of the application for final recognition of the veterinary college to the Central Government:

- i. Veterinary Parasitology,
- ii. Veterinary Public Health and Epidemiology,
- iii. Veterinary and Animal Husbandry Extension Education.
- iv. Veterinary Surgery and Radiology,
- v. Veterinary Medicine,
- vi. Veterinary Gynaecology and Obstetrics.

SCHEDULE – III
Schedule for receipt of applications in Form-X and XI

Sr. No.	Stage of processing	Last Date
1	Receipt of applications by the Central Government and the Veterinary Council of India	Date of application
2	Scrutiny of the applications by the Veterinary Council of India and return of applications found defective to the applicant with a copy to the Central Government	15 days from the date of application
3	Re-submission of the application after removal of defects by the applicant.	30 days from the date of application
4	Recommendations of Veterinary Council of India to Central Government for renewal of Letter of Permission	90 days from the date of application
5	Issue of Letter of Renewal of Letter of Permission by the Central Government	120 days from the date of application

All the colleges for which the renewal of Letter of Permission or the recognition is issued before the thirtieth day of the April shall be permitted to admit students into the course for the succeeding academic year.

*Central Government may relax the timelines as deemed necessary.

FORM - I Application for Starting of Veterinary Qualification or A Veterinary College/Renewal of Letter of Permission/Recognition of Veterinary Qualification/Increase In Seats in A Veterinary College

Sr. No.	Details	
1.	Name of the Applicant	
2.	Address of the Applicant	
3.	Category Of The Applicant	(State government/Union Territory/University/Statutory Autonomous body/Society/Trust/Waqf/Section -8 Company)
4.	Copy Registration Certificate	(Enclosed /not enclosed)
5.	Name And Address Of The Veterinary College	
6.	Name Of The Veterinary Qualification	
7.	Name Of Affiliating University	
8.	Letter Of Permission (If Issued)	(Enclosed /not enclosed)
9.	Renewal Letter Of Permission (If Issued)	(Enclosed /not enclosed)
10.	Notification Of Inclusion In First Schedule	(Enclosed /not enclosed)
11.	Infrastructural Facilities Available For The Veterinary College. (Phase Wise Requirements Are Described In Schedule II)	
12.	Details Of Management Composition Of Governing Body Or Equivalent. a. Details Of Executive Authority.	
13.	Educational Programme	(Attached/Not Attached)
	a. Proposed Annual Intake Of Students: b. Admission Criteria To Be Adopted: c. Reservation or Preferential Allocation Policy: d. Department Wise and Year Wise Curriculum of Studies, Both Theory And Practical.	
14.	Man Power Teaching And Non-Teaching	(Attached / Not Attached)
15.	LAYOUT AND BUILDING PLANS a. Master plan of the veterinary college,VCC and ILFC b. Layout plan c. Floor wise plan of the Veterinary college, VCC, ILFC and other buildings	(Attached / Not Attached) (Attached / Not Attached)
16.	EQUIPMENT LIST	(Attached / Not Attached)

NOTE: — For Items 11 to 14 a comparative statement showing the relevant MSVE Standards and the manpower, infrastructure and equipment available shall be provided.

Name and Signature of Applicant

LIST OF ENCLOSURES:

1. Certified copies of complete constitutional documents of the applicant.
2. Certified copy of Certificate of registration or incorporation of the applicant.
3. Certified copy of the resolution or other authorisation document by which the applicant has been authorised to establish a Veterinary College and to make the application under these Rules to seek recognition.
4. No Objection Certificate from the State Government or the Union Territory Government or Administration, as the case may be (Form-II)/(Form-IX).
5. Essentiality Certificate issued by the respective State Government or Union territory Government or Administration, as the case may be (Form-III)/(Form-X).
6. Certified copy of the letter of consent of affiliation issued by a University (Form IV)/(Form-XI) or the letter/certificate of affiliation or temporary affiliation issued by a University.
7. Report from the concerned University verifying the physical and other facilities available at the Veterinary College (Form-V).
8. Certified copy of Letter or Permission or Renewal of Letter of Permission or Notification of inclusion in the first schedule.
9. A Detailed Project Report including the building programme, educational programme, equipment programme and man power programme clearly showing the plan of construction, recruitment, procurement with timelines and source of funds.
10. Certified copy of the title deeds/sale deeds/gift deeds/any other document in respect of the total available land as proof of its ownership issued by the competent authority.
11. Certified copy of the lease deed of the land, where the land is leased
12. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use or land use certificates and land conversion certificates where applicable issued by the relevant competent authority.
13. Certified copies of land records containing combined map of the area showing the land survey nos and location of the site of Veterinary College and ILFC as well as its access from the nearby roads issued by the relevant competent authority.
14. Certified copy of the Site Plan and building plan of the Veterinary College prepared by an architect registered with the Council for Architecture (COA) and duly approved by the competent Plan Sanctioning Authority of the concerned State or Union Territory Administration.
15. Copies of floor plans, with the carpet area of the rooms (in Sq.Ft) and elevations of all existing and planned buildings certified by an architect registered with the Council of Architecture.
16. Declarations from the faculty engaged by the applicant Veterinary College (Form-VI)
17. Declarations from other staff recruited by the applicant Veterinary College (Form-VII)
18. Copies of Annual reports and Audited Balance sheets for the last three years of the applicant duly certified by a chartered accountant.
19. Fee, as specified
20. Duly notarised undertaking to be submitted by a Competent or authorised person representing the applicant (Form -VIII)/(Form-XII).
21. An affidavit, on a non-judicial stamp paper of Rs. 100, stating that the information given in the application is true and stating that if the applicant fails to disclose all the information or suppresses or misrepresents any of the information or if it is found that the information given in the application is false, it shall be liable to be proceeded against in accordance with law, including but not limited to its de-recognition or withdrawal of the permission granted to it under these Rules.
22. Any other documents that the applicant wishes to submit (Please indicate details).

FORM – II NO OBJECTION CERTIFICATE FROM STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY GOVERNMENT/ADMINISTRATION

No. _____ Dated, _____

Government of _____

Department of Animal Husbandry, _____

To (Applicant),
The _____ (Name _____ of _____ the
Applicant) _____ has applied
for establishment of a
Veterinary College at _____ (complete address of the Veterinary College with
phone no.).

On careful consideration of the proposal, the
Government/Administration _____ of _____ (Name of
the _____ State/Union Territory) has no objection
towards the establishment
of a Veterinary College as per the Veterinary Council of India Minimum Standards of
Veterinary Education - (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry
— Degree Course) Regulations, 2016, as amended from time to time and this No Objection
Certificate is being issued to that effect.

Yours faithfully,

**(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE
GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION)**

FORM – III

SUBJECT: ESSENTIALITY CERTIFICATE

No. _____ Dated, _____

Government of _____

Department of Animal Husbandry, _____

To (Applicant), Sir,
The (Name of the person) _____ has applied for establishment of a
Veterinary College at _____. On careful consideration of the proposal, the Government of has
decided to issue _____ the essentiality certificate to the applicant for the establishment of a
Veterinary college with _____ (no. of seats).

It is certified that: —

- (1) It is desirable to establish a Veterinary College in the public interest;
- (2) Establishment of a Veterinary College at _____ by (the name of the applicant) is feasible.

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the veterinary college as per the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India, as a result of which the permission for taking fresh admissions is withdrawn by the Central Government, the State Government/Union

Territory shall fully cooperate in shifting the students already admitted in the Veterinary College to a recognised Veterinary College.

Yours faithfully,

(Signature of The Competent Authority) of The State Government/Union Territory Administration)

Annexure to the Essentiality certificate

- a. Number of veterinary college or institutions already existing in the State or Union territory:
- b. Number of seats available or no. of veterinary doctors graduating annually:
- c. Number of veterinary practitioners registered with the State Veterinary Council:
- d. Number of veterinary practitioners in Government service:
- e. Number of government posts lying vacant for veterinary practitioners:
- f. Veterinary practitioners to animal population ratio presently in the State or Union territory.
- g. Veterinary practitioners to animal population ratio proposed to be achieved by the State.
- h. Full justification for establishing the proposed Veterinary College.

FORM – IV LETTER OF CONSENT OF AFFILIATION FROM THE UNIVERSITY

No. _____ Dated.....

Place.....

University of.....

SUBJECT: CONSENT OF AFFILIATION

TO _____ Name of Veterinary College with address)

The Honourable Vice-Chancellor on the basis of the report of the University Inspection Committee and approval of the Board of Management of the University of____(name of the affiliating university) has agreed to affiliate the _____(name of the proposed Veterinary College) to be established by ____(the Name of the applicant) subject to inclusion by the Central Government of the Veterinary College or the Veterinary Qualification in the first schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984.

REGISTRAR

(Signature with Name and Office Seal)

**FORM – V INSPECTION REPORT OF THE AFFILIATION COMMITTEE OF THE
UNIVERSITY
ON AVAILABILITY OF FACILITIES AT THE VETERINARY INSTITUTE**

The Affiliation Committee of the _____ University
has inspected the facilities available at ____ (name of the Veterinary College) on it is certified that all the
facilities available in the Veterinary College are as per the Minimum Standards for Veterinary Education
Regulations..... (Year)

(Registrar)

FORM – VI

Declaration of teaching staff at (to be
filled up by the individual teacher)

Recent passport size photograph of the teaching staff to be countersigned by the

1. Name of the Teaching staff in BLOCK Letters.
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
 - v.
 - vi.

2. Fathers name

3. Mothers name

4. Date of birth

5. Aadhar Number: (a copy to be attached)

6. PAN number :

7. Present Designation :

8. Employment details (where applicable):

(i) Department:

(ii) Nature of appointment: Regular / Adhoc / Contractual /Teaching Associate/Temporary

(iii) Date of joining at the present institution :

iv) Residential Address :

(v) Permanent Address :

(vi) Telephone numbers Office

Residence—Mobile No.—

(vii) E-mail ID:

(viii) Pay scale of the present appointment :

(ix) State Veterinary Council Registration (Number, date and validity):

(x) Name of the State Veterinary Council where registered:

9. Details of qualifications:

Qualification (1)	Name of College	Name of University	Year of passing	Marks obtained (in %) or	Subject s studied
	(2)	(3)	(4)	OGPA (5)	(6)
Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry					
M.V.Sc					
Ph.D					
Post-Doc					

11. Details of teaching /practicing experience (in chronological orders starting from past to present):

Designation	Name of institution	Department	From	To	Total Experience in years & months
Demonstrator or Teaching					
Associate					
Assistant Professor					
Associate Professor					
Professor					
Scientist (in any research institute like ICAR, etc.)					
Senior Scientist(in any research institute like ICAR, etc.)					
Principal Scientist(in any research institute like ICAR, etc.)					
Veterinary practice in the State or Central A.H. department, etc.					
Private practice					
Others(specify)					
Total Teaching Experience					
Total Experience other than teaching like Extension, etc.					

Note: Kindly mention NA wherever the incumbent does not have the required category of experience as stated above.

DECLARATION BY THE INCUMBENT

(To be submitted non-judicial stamp paper duly attested by a Notary public)

- (1) I, Dr. working as in the department of at College and do hereby affirm that I am a full time teacher working from A.M. to P.M. daily at this institution. I am not into practice anywhere neither am I employed anywhere else.
- (2) I am engaged to teach in (name of the Veterinary College) for the academic session and I have not made myself available to any other college or institution as a faculty for the said academic year.
- (3) Complete details with regard to work experience have been provided and nothing has been concealed by me.
- (4) It is declared that each statement and contents of this declaration and the documents and certificates submitted along with this declaration by the undersigned are absolutely true, correct and authentic. In the event of any statement made in this declaration subsequently turning out to be incorrect or false, the same shall amount to gross misconduct thereby rendering the undersigned liable for necessary action under the law. It is also understood that in such a case, the undersigned is also liable for disciplinary action including removal of his name from the register of the State Veterinary Council or Veterinary Council of India, as the case may be.

SIGNATURE WITH FULL NAME OF THE TEACHER

Date: Place:

Endorsed by

1. Signed by the Principal or Dean of the College with Stamp and date
2. Countersigned by the Chairman of the governing body with Stamp and date

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

Serial No. (1)	Documents (2)	Submitted (3)
1	Recent Passport size photo, signed by the Dean or Principal of the College.	Yes/no
2	Copy of proof of Date of Birth	Yes/no
3	Certified copies of appointment order including promotion orders of present Institution.	Yes/no
4	Copy of Passport or Voter Card or Electricity Bill or Telephone Bill or Driving License or Certification from Local Govt. as a proof of residence.	Yes/no
5	Joining report of the present institution.	Yes/no
6	Copies of Degree certificates of UG and PG degree.	Yes/no
7	Copies of Registration Certificates of the State Veterinary Council	Yes/no
8	Copy of experience certificate (s) for all teaching appointment(s)	Yes/no
9	Relieving order from the previous institution.	Yes/no
10	Copy of PAN Card	Yes/no
11	Copy of Form 16 (TDS certificate) for the last financial year	
12	Provident Fund deduction Certificate & Statement	Yes/no
13	Bank statement of last one year as proof of receipt and salary	Yes/no
15	Copy of Aadhar Card	Yes/no

Signature & Full Name of the Teacher

Date:
with stamp & date

Countersigned by Dean or Principal

FORM – VII

Declaration of non teaching staff at

(to be filled up by the individual employee)

Recent passport
size photograph
of the non-
teaching staff to
be
countersigned
by the
dean/principal

1. Name of the non- teaching staff in BLOCK letters

2. Fathers name

3. Mothers name

4. Date of birth

5. Aadhar Number :

6. PAN Card Number:

7. Present Designation of the incumbent

8. Employment details :

- i. Department
- ii. Nature of appointment: Regular / Adhoc / Contractual /Temporary
- iii. Date of joining at the present institution
- iv. Residential Address of incumbent
- v. Permanent Address
- vi. Telephone numbers –
 - 1. Office Number:
 - 2. Residential Number:
- vii. E-mail ID
- viii. Pay scale of the present appointment

12. Details of qualifications (where applicable):

Qualification	Name of University	Name of University	Marks obtained (in %) or CGPA	Subjects studied

13. Details of experience (in chronological order starting from past to present):

Note: Kindly mention NA wherever the incumbent does not have the required category of experience as stated above.

DECLARATION BY THE INCUMBENT

(To be submitted non-judicial stamp paper duly attested by a Notary public)

(1) I, _____ working as _____ in the department of _____ at College and do hereby affirm that I am a _____ working from _____ A.M. to _____ P.M. daily at this institution. I am not employed anywhere else.

(2) Complete details with regard to work experience have been provided and nothing has been concealed by me.

(3) It is declared that each statement and contents of this declaration and the documents and certificates submitted along with this declaration by the undersigned are absolutely true, correct and authentic. In the event of any statement made in this declaration subsequently turning out to be incorrect or false, the same shall amount to gross misconduct thereby rendering the undersigned liable for necessary action under the law.

SIGNATURE WITH FULL NAME

Date:

Place:

Endorsed by 1. Signed by the Principal or Dean of the College with Stamp and date

2. Countersigned by the Chairman of the Governing body with Stamp and Date.

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

Serial No. (1)	Documents (2)	Submitted (3)
1	Recent Passport size photo signed by the Dean or Principal of the College	Yes/no
2	Copy of proof of Date of Birth	Yes/no
3	Photo ID proof issued by Govt. Authorities: Passport or PAN Card or Voter ID or Driving license etc..	Yes/no
4	Certified copies of appointment order including promotion orders of present Institution.	Yes/no
5	Copy of Passport or Voter Card or Electricity Bill or Telephone Bill or Driving License or Certification from Local Govt. Authorities to be attached as a proof of residence.	Yes/no
6	Joining report of the present institution.	Yes/no
7	Copies of certificates showing educational qualifications.	Yes/no

8	Copy of experience certificate (s) for all appointment(s)	Yes/no
9	Relieving order from the previous institution.	Yes/no
10	Copy of PAN Card	Yes/no
11	Copy of Form 16 (TDS certificate) for the last financial year	
12	Provident Fund deduction Certificate & Statement	Yes/no
13	Bank statement of last one year as proof of receipt of salary	Yes/no
14	Copy of Aadhar Card	Yes/no

Signature and Full Name
Date:

Countersigned by Dean or Principal with stamp and date

FORM – VIII UNDERTAKING ON NON-JUDICIAL STAMP PAPER TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT

I or we (Name of the Trustee or Chairman or Principal or Director or Head or Registrar) of the (name of the Veterinary College or Trust or Society or University, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with our application for grant of recognition of..... (name of the Institution or Course or Programme) from the session (academic year).

1. That the management of the Veterinary College is liable to provide infrastructural, instructional and other facilities as per the norms, standards and guidelines specified by the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India from time to time.
2. That admission of students shall be made after satisfying the eligibility conditions and will be based on the merit achieved by the student in the entrance examination conducted by the State Government or University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes or handicapped and other categories as per the policy of State Government.
4. That admission to the Veterinary College shall be made only after permission is granted by the Central Government.
5. That full time staff shall be appointed on regular basis as per the qualifications specified by the Central Government and/or the Veterinary Council of India through wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted selection committees or as per the norms of the affiliating university.
6. That the part time staff shall be appointed as per the guidelines of the State Government or the affiliating University.
7. That the Veterinary College will strictly follow all conditions and norms specified under the Indian Veterinary Council Act., 1984 from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
8. In the event of non-compliance by the.....(name College or Institution etc.) with regard to the norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the Veterinary College or its governing body.
9. That the University or the governing body of the Veterinary College has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the Veterinary Council of India

for grant of permission or recognition including those stipulated by the minimum standards of veterinary education regulations, as the case may be, to the programme proposed and feels that they are satisfied or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavorable decision.

10. That the governing body acknowledges that the Bank guarantee furnished to the Veterinary Council of India shall be forfeited in the event of violation of the any of the rules or regulations.
11. The name and address of the Veterinary College shall not be changed without obtaining prior approval of the Central Government.

(Signature of the authorized representative or signatory along with his or her official position and office Seal)

NAME IN BLOCK LETTERS

Place:

Date: Witnesses: 1.

2.

**FORM – IX NO OBJECTION CERTIFICATE FROM STATE GOVERNMENT/UNION
TERRITORY GOVERNMENT/ADMINISTRATION**

No.

Dated,

Government of

Department of Animal Husbandry,

To

(Applicant),

The (Name of the Applicant)_____ has applied for increase in the admission capacity of _____

_____ (name of Veterinary College)

at _____

_____ (complete address of the Veterinary College with phone no.). On careful consideration of the proposal, the Government/Administration of _____ (Name of the State/Union Territory) has no objection towards the increase in the admission capacity of the said Veterinary College and this No Objection Certificate is being issued to that effect.

Yours faithfully,

**(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE GOVERNMENT/UNION
TERRITORY ADMINISTRATION)**

FORM – X**SUBJECT: ESSENTIALITY CERTIFICATE**

No. ____ Dated,

Government of
Department of Animal Husbandry, _____

To (Applicant), Sir,
The (Name of the person) _____ has applied for increasing the admission capacity of

(Name of the Veterinary College) situated at (Address of the Veterinary College). On careful consideration of the proposal, the Government of _____ has decided to issue the essentiality certificate to the applicant for the establishment of a Veterinary college with _____ (no. of seats).

It is certified that:—

1. It is desirable to increase the seats from.... to..... seats in Name of Veterinary

College a Veterinary College in the public interest;

2. Establishment of a increasing the seats from.... to..... seats in (name of veterinary college) at.....by(the name of the applicant) is feasible.

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the veterinary college as per the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India, as a result of which the permission for taking fresh admissions is withdrawn by the Central Government, the State Government/Union Territory shall fully cooperate in shifting the students already admitted in the Veterinary College to a recognised Veterinary College.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY) OF THE STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION)

Annexure to the Essentiality certificate

- a. Number of veterinary college or institutions already existing in the State or Union territory:
- b. Number of seats available or no. of veterinary doctors graduating annually:
- c. Number of veterinary practitioners registered with the State Veterinary Council:
- d. Number of veterinary practitioners in Government service:
- e. Number of government posts lying vacant for veterinary practitioners:
- f. Veterinary practitioners to animal population ratio presently in the State or Union territory.
- g. Veterinary practitioners to animal population ratio proposed to be achieved by the State.
- h. Full justification for establishing the proposed Veterinary College.

FORM – XI**LETTER OF CONSENT FROM THE UNIVERSITY**

No. _____ Dated.....

Place.....

University of.....

SUBJECT: _____ CONSENT _____ OF _____ AFFILIATION
 TO _____ Name of Veterinary College
 with address)
 The Hon'ble Vice-Chancellor on the basis of the report of the University Inspection Committee
 and approval of the Board of Management of the University of _____
 _____ (name of the affiliating university) hereby
 consents to the increase in admission capacity of _____
 _____ (name of the Veterinary
 College) already affiliated by the university
 vide..... from _____
 _____ (no. of seats) to (no. of seats).

REGISTRAR

(Signature with Name and Office Seal)

FORM – XII

Undertaking on non-judicial stamp paper to be submitted by an authorised representative/signatory representing the Management of the Veterinary College or University

I or we (Name of the Trustee or Chairman or Principal or Director or Head or Registrar) of the (name of the Veterinary College or Trust or Society or University, etc.) hereby undertake to comply with the following in connection with our application for increase in admission capacity of (name of the Veterinary College) from the session (academic year).

1. That the management of the Veterinary College is liable to provide infrastructural, instructional and other facilities as per the norms, standards and guidelines specified by the rules framed by the Central Government and the regulations framed by the Veterinary Council of India from time to time.
2. That admission of students shall be made after satisfying the eligibility conditions and will be based on the merit achieved by the student in the entrance examination conducted by the State Government or University as per its policy.
3. That there shall be reservation of seats for Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes or handicapped and other categories as per the policy of State Government.
4. That admission to the Veterinary College shall be made only after permission is granted by the Central Government.
5. That full time staff shall be appointed on regular basis as per the qualifications

- specified by the Central Government and/or the Veterinary Council of India through wide advertisement and open selection on the basis of the recommendation of duly constituted selection committees or as per the norms of the affiliating university.
6. That the part time staff shall be appointed as per the guidelines of the State Government or the affiliating University.
 7. That the Veterinary College will strictly follow all conditions and norms specified under the Indian Veterinary Council Act., 1984 from time to time, conduct the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the Veterinary Council of India as required at any time.
 8. In the event of non-compliance by the(name College or Institution etc.) with regard to the norms and standards and any other condition laid down or specified by the Veterinary Council of India from time to time, the Veterinary Council of India or the Central Government will be free to take all necessary measures for effecting withdrawal of its recognition or permission, without consideration of any other issue, and that all liabilities arising out of such a withdrawal would solely be that of the Veterinary College or its governing body.
 9. That the University or the governing body of the Veterinary College has seen, studied and understood the norms and conditions stipulated by the Veterinary Council of India for grant of permission or recognition including those stipulated by the minimum standards of veterinary education regulations, as the case may be, to the programme proposed and feels that they are satisfied or can be satisfied by the time of inspection, failing which it would be willing to accept an unfavorable decision.
 10. That the governing body acknowledges that the Bank guarantee furnished to the Veterinary Council of India shall be forfeited in the event of violation of the any of the rules or regulations.
 11. The name and address of the Veterinary College shall not be changed without obtaining prior approval of the Central Government.

(Signature of the authorized representative or signatory along with his or her official position and office Seal)

[F. No. K-12/09/2026-LH (E-43460)]

R. S. SINHA, Addl. Secy.